



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), रिफ़ाइनरी  
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED (BPCL), REFINERY

विशेष सुरक्षा शर्ते  
(महत्वपूर्ण आवश्यकता)

**SPECIAL SAFETY CONDITIONS**  
**(ESSENTIAL REQUIREMENT)**



**विशेष सुरक्षा शर्तें**  
(महत्वपूर्ण आवश्यकता)

**कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों या अन्य तृतीय पक्षों द्वारा रिफाइनरी में किए गए सभी कार्यों के लिए लागू सुरक्षा शर्तें**

**सूचकांक :**

1. सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन
2. नियुक्त किए जानेवाले मानव बल की योग्यता और अनुभव
3. स्वास्थ्य आश्वासन ( उच्च जोखिम वाली नौकरियों के लिए चिकित्सकीय तौर पर योग्य)
4. कार्य के लिए मानव शक्ति और सामान्य समय के उपयोग में प्रतिबंध
5. प्रशिक्षण ( एक वर्ष के लिए वैध दिन 1 का प्रशिक्षण)
6. रिफाइनरी प्रवेश पास और प्रयोज्य कल्याण नियमों और शर्तों का मुद्दा
7. वर्क परमिट सिस्टम के पालन की बाध्यता ( अग्निशमन उपकरण विनिर्देश)
8. पर्यवेक्षण की आवश्यकता ( प्रत्येक 30 कर्मचारियों के लिए 1 सुरक्षा पर्यवेक्षक)
9. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ( पीपीई मानक परिभाषित) का प्रयोग
- 9.1. अन्य शर्तें ( ठेकेदारों से अपेक्षित अन्य सुरक्षा आवश्यकताएं)
10. एच एस, ओ, एचसी मीटर के लिए विशेष परिस्थितियां ( निर्दिष्टीकरण, अन्य आवश्यकताएं)
11. विनियामक आवश्यकताएं ( मचान और फ्लेटफार्म आवश्यकताएं)
12. वेल्डिंग प्रक्रिया ( वेल्डिंग कंबल विशिष्टताएं)
13. खतरे का संप्रेषण
14. चोट की सूचना और जांच
15. हाउस कीपिंग की आवश्यकता
16. निविदा प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यकता
17. साइट पर प्रदर्शित बोर्ड ( प्रारूप परिभाषित)
18. सुरक्षा गतिविधियों में भागीदारी
19. नोट

**1. वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन**

कंसल्टेंट्स, ठेकेदार या रिफाइनरी में काम करने वाले अन्य तीसरे पक्ष को निम्न का पालन करना होगा :-

- अ) 'अग्नि एवं सुरक्षा विनियम' ( नवीनतम संशोधन) में उल्लिखित रिफाइनरी के सुरक्षा विनियमन
- ब) द फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत सभी आवश्यकताएं और समस्त संशोधनों सहित महाराष्ट्र फैक्ट्री नियम 1963 के तहत बनाए गए नियम ।
- स) प्रयोजनीय प्रभावी पर्यावरण विनियमन और पर्यावरण से संबंधित रिफाइनरी में सिस्टम और प्रक्रियाएं

**2. नियुक्त किए जाने वाले मानव-बल की योग्यता और अनुभव**

ठेकेदार केवल अनुभवी और योग्य पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को ही तैनात करेंगे, जो रिफाइनरी में सुरक्षा एवं पर्यावरण नियमों से उच्छी तरह से परिचित हैं ।

क्षेत्रीय नौकरियों के लिए पर्यवेक्षकों की न्यूनतम योग्यता आवश्यकताएं ( कार्यालय की नौकरियों के अतिरिक्त, घास काटने, गृह व्यवस्था, सामान्य सफाई नौकरी आदि) :

- 3 साल के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग की प्रासंगिक शाखा में डिप्लोमा या
- एसएससी + 10 साल के अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में आईटीआई ।



## **SPECIAL SAFETY CONDITIONS** **(ESSENTIAL REQUIREMENT)**

### **SAFETY CONDITIONS APPLICABLE TO ALL WORKS CARRIED OUT IN THE REFINERY BY CONSULTANTS, CONTRACTORS OR OTHER THIRD PARTIES**

#### **INDEX :**

1. Compliance with statutory requirement
2. Qualification and experience of manpower to be deployed
3. Health assurance (Medically fit for high risk jobs)
4. Restrictions in use of man power and normal timings for work
5. Training (1 day training valid for a year).
6. Issue of refinery entry pass and applicable welfare terms & conditions
7. Obligation to follow work permit system (fire extinguishers specifications)
8. Requirement of supervision (1 safety supervisor for every 30 workers)
9. Use of personal protective equipment (PPEs standards defined)
  - 9.1 Other conditions (Other Safety requirements from Contractors)
10. Special conditions for H<sub>2</sub>S, O<sub>2</sub>, HC meter (Specifications, other requirements)
11. Regulatory requirements (Scaffolding and Platforms Requirements)
12. Welding procedure (Welding blanket specifications)
13. Hazard communication
14. Injury notification and investigation
15. Requirement of house keeping
16. Requirement during submission of tender
17. Display boards at site (format defined)
18. Participation in safety activities
19. Note

#### **1. COMPLIANCE WITH STATUTORY REQUIREMENT**

Consultants, Contractors or other third parties working in the refinery shall abide by :-

- a) The safety regulations of the Refinery as mentioned in the 'Fire and Safety Regulations' (Latest Revision)
- b) All requirements under The Factories Act 1948 and the rules framed thereunder in the Maharashtra Factories Rules 1963 including all amendments thereto.
- c) Applicable Environment Regulations in force and also the systems and procedures in the refinery related to environment.

#### **2. QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF MANPOWER TO BE DEPLOYED**

Contractors shall deploy only experienced and qualified supervisors and workmen, who are well conversant with the safety & environment regulations in the refinery.

The minimum qualification requirements of supervisors for field jobs (other than office jobs, grass cutting, housekeeping, general cleaning jobs etc.) shall be:

- Diploma in relevant branch of engineering with 3 years' experience or
- SSC + ITI in the relevant field with 10 years' experience.



इसके अलावा पर्यवेक्षकों को सुरक्षा परमिट सिस्टम, कार्य निर्देश, चित्रों को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और इन्हें रिफाइनरी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा प्रशिक्षण इनपुटों को आत्मसात करना आना चाहिए तथा जो सफलतापूर्वक परीक्षणों में योग्यता प्राप्त करने में सक्षम हों।

जिस कार्य में पर्यवेक्षकों को लगाया जाएगा इनका विगत अनुभव भी उसी प्रकार की नौकरी में होना चाहिए।

ठेकेदार के कुशल श्रमिक जैसे कि रिगर्स (यंत्र-प्रविण), स्कैफोल्डर्स (पाइ बांधने वाले), वेल्डर, फिटर, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डिंग मशीन, बिजली जनरेटर आदि जैसे अन्य विशेष उपकरण ऑपरेटर्स के पास प्रासंगिक नौकरियों पर पर्याप्त पिछले अनुभव और कौशल होना चाहिए। नौकरी पर तैनात किए जाने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वैध वायरमेन लाइसेंस होना चाहिए।

सभी कामगार निम्नलिखित निर्देश और प्रशिक्षण का पालन करने में सक्षम होने चाहिए

### 3. स्वास्थ्य आश्वासन

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि नौकरी पर तैनात किए जाने से पूर्व पर्यवेक्षक सहित मजदूरों की, महाराष्ट्र फैक्टरी नियम के नियम वी के अनुसार, एमबीबीएस एएफआईएच की अर्हता प्राप्त प्रमाणित सर्जन ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन द्वारा चिकित्सा जांच ककी गई है। उपर्युक्त व्यवसायी द्वारा प्रमाणित चिकित्सकीय रूप से फिट को ही नौकरी पर अनुमति दी जाएगी। उच्च जोखिम वाली नौकरियों में नियुक्त व्यक्ति, जैसे कि परिरुद्ध स्थल, ऊंचाई पर, पानी के नीचे आदि पर कार्यरत लोग, प्रमाणित सर्जन द्वारा ऐसी नौकरियों के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होने चाहिए।

छह माह से अधिक पुराने चिकित्सा प्रमाणत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए स्वास्थ्य आश्वासन प्रमाण पत्र को समय-समय पर रिफाइनरी डॉक्टरों द्वारा यादृच्छिक रूप से चेक किया जाएगा।

कोई भी श्रमिक 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए।

### 4. कार्य के लिए मानव शक्ति और सामान्य समय के उपयोग में सीमाएं

ठेकेदार श्रम प्रतिस्थापन तकनीकों के उपयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जनशक्ति की तैनाती न्यूनतम संभव सीमा तक ही सीमित है। पंजीकरण के नवीनीकरण के समय काम के मैकेनाइज्ड तरीके से कार्य करने वाले ठेकेदारों को उचित वेटेज दिया जाएगा।

ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी आम तौर पर एक दिन में 8 घंटे तथा सप्ताह के सात दिनों में घंटों से अधिक नहीं काम करना चाहिए। हर 48 घंटे काम करने के बाद, सभी कर्मचारियों को एक पूर्ण दिन का आराम मिलना चाहिए। ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य समय 8.00 बजे से 4.15 बजे तक होगा।

निरंतर प्रक्रिया उद्योग होने के नाते, ठेकेदारों को आवश्यकता और इंजिनियरिंग इन-चार्ज के संदर्शन अनुसार शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ सकता है।

ठेकेदार कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के रविवार और रिफाइनरी छुट्टियों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त से किसी भी प्रकार का विचलन इंजीनियर-इन-चार्ज की स्पष्ट अनुमति के साथ होगा।

### 5. प्रशिक्षण

#### 5.1. अनिवार्य

रिफाइनरी में कोई भी काम प्रारंभ करने से पूर्व सभी ठेकेदार कर्मचारियों के लिए आग और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है। काम शुरू करने से पूर्व अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अभिविन्यास प्राप्त करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

#### 5.2 मालिकों, भागिदारों, निदेशकों और संविदाकृत होने वाली कंपनी के प्रबंधकों के प्रशिक्षण

क) रिफाइनरी में अपने काम की अंतिम जिम्मेदारी रखने वाले ठेकेदारों के प्रभारी मालिक, साझीदार, निदेशकों या प्रबंधकों के एक दिन के व्यापक सुरक्षा परीक्षा कार्यक्रम से गुजरना होगा।

ख) यह कार्यक्रम नियोजित स्थान पर अग्नि एवं सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा।



Also supervisors shall have sufficient knowledge of English language to understand Safety Permit System, work instructions, drawings and they should be able to assimilate the safety training inputs provided by the refinery and successfully qualify in the tests.

Past experience must be for same type of job for which the supervisors would be engaged.

Contractors' skilled workmen like riggers, scaffolders, welders, fitters, crane operators, other specialized equipment operators like welding machine, power generators etc. must have sufficient past experience and skills on relevant jobs. The Electricians to be deployed on the job must have valid Wireman Licence.

All workmen must be capable of following instructions and training.

### **3. HEALTH ASSURANCE**

Contractors will ensure that workers including Supervisors before deployment on the job, are medically examined by a certified surgeon Occupational Health Physician having qualification of MBBS + AFIH as per Rule 73 V of Maharashtra Factories Rule 1963. Only medically sound persons as certified by the above medical practitioner would be allowed on the job. Workmen deployed on high risk jobs like working in confined space, working at height, working under water, etc. must also be certified as medically fit for such jobs by certifying surgeon.

The medical certificates older by more than six months will not be accepted.

Health Assurance certificates submitted by the contractors would be periodically checked at random by the refinery doctors.

No workers shall be below 18 Years.

### **4. RESTRICTIONS IN USE OF MAN POWER AND NORMAL TIMINGS FOR WORK**

Contractor shall endeavour to use labour substitution technologies to ensure that deployment of manpower is restricted to the minimum possible limits. Due weightage shall be given to contractors using mechanized methods of work while renewing their registration.

No contractor's employees shall normally work for more than 8 hours a day and not more than 48 hours in a week of seven days. After every 48 hours of working, all employees must get one full day's rest. The normal duty timings for contractor's employees shall be between 8.00 AM and 4.15 PM.

Being a continuous process industry, Contractors may be required to work during shifts as per requirement and as guided by Engineering-in-charge.

Contractor employees would not be allowed to work on Sundays and refinery holidays without prior permissions.

Any deviation from above shall be with express permission from the Engineer-in-charge.

### **5. TRAINING**

#### **5.1 Mandatory**

Training in Fire and Safety is mandatory for all contractors' employees before start of any work in the refinery. Contractor shall be responsible for all of his employees to receive the Safety orientation prior to beginning the work.

#### **5.2 Training of Proprietors, Partners, Directors and Managers of contracting company**

- a) The proprietors, partners, directors or managers in-charge of the contractors who have ultimate responsibility for their work in the refinery must undergo a one day comprehensive safety familiarization programme.
- b) This programme would be conducted regularly by fire and safety department at designated location and the schedule shall be notified well in advance.



- ग) कार्यक्रम पूरा होने पर प्रत्येक भागीदार को उपस्थिति का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जोकि रिफाइनरी प्रवेश पास जारी करने के लिए आवश्यक होगा।

### 5.3 पर्यवेक्षक प्रशिक्षण

- अ) ठेकेदारों के पर्यवेक्षकों को “वर्क परमिट सिस्टम” पर प्रशिक्षण के बाद “रिफाइनरी में स्वास्थ्य और सुरक्षा” पर प्रशिक्षण लेना होगा।
- ब) प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंत में, एक लिखित परीक्षा होगी और सफल उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रमाणित किया जाएगा।
- स) एक पर्यवेक्षक को दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।
- द) किसी भी पर्यवेक्षक को वैध प्रशिक्षण सफलता प्रमाणपत्र के बिना रिफाइनरी प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा

### 5.4 श्रमिक प्रशिक्षण

- अ) सभी ठेकेदार कार्यकर्ताओं को नौकरी के प्रारंभ पहले “रिफाइनरी में सुरक्षा” पर एक दिवासीय क्लासरूम प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
- ब) इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर, “उपस्थिति प्रमाणपत्र” सुरक्षा अनुभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- स) यह “उपस्थिति प्रमाण पत्र” एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।
- द) रिफाइनरी में प्रवेश केवल इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।

### 5.5 पुनश्चर्या प्रशिक्षण

- क) पर्यवेक्षक और ठेकेदार के कर्मचारियों को समय-समय पर सुरक्षा अनुभाग की आवश्यकतानुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण लेना होगा।
- ख) पुनश्चर्या प्रशिक्षण की कवरेज और कार्यप्रणाली प्रारंभिक प्रशिक्षण के समान होगी।

### 5.6 प्रशिक्षण का प्रशासन

- ए) रिफाइनरी अग्नि एवं सुरक्षा विभाग बीपीसीएल स्पोर्ट्स क्लब या बीपीसीएल द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर इन अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
- ख) ठेकेदारों को अधिसूचना के लिए, चालू माह के प्रशिक्षण की सटीक तिथियों की अनुसूची का नोटिस रखरखाव योजना, कार्यालय इंजीनियरिंग और निर्माण, संविदा और खरीद और संपदा (पी एंड ए) के लिए विगत माह की 25 तारीख तक जारी किया जाएगा।

### 5.7 अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ठेकेदारों का उत्तरदायित्व

- अ) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनके पास इस प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके प्रत्येक कर्मचारी को रिफाइनरी में सुरक्षित काम करने से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और उन्हें यह समझ में आ गया है।
- ब) ठेकेदार को उसके कर्मचारियों द्वारा लिए गए प्रशिक्षण के रिकॉर्ड का रखरखाव करना चाहिए। इस तरह के उभिलेखों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ‘क्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है’ ख) इस तरह के प्रशिक्षण की तारीख, समय और अवधि, स) किसने प्रशिक्षण प्रदान किया है, घ) ऐसे प्रशिक्षणों में शामिल श्रमिकों के नाम।
- स) एक रजिस्टर के रूप में बनाए गए रिकॉर्ड, बीपीसीएल द्वारा जांच हेतु उपलब्ध होने चाहिए।
- द) प्रशिक्षण दैनिक उपकरण बॉक्स चर्चा के अतिरिक्त जॉब विशिष्ट होगी और जितनी बार संभव हो सके उतनी बार होनी चाहिए।
- ई) ठेकेदार पर्यवेक्षक / सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए दैनिक जॉब हेतु विशेष उपकरण बॉक्स चर्चा सुनिश्चित की जाएगी और उपस्थिति पंजी का रखरखाव किया जाएगा।



- c) On completion of the programme a certificate of attendance will be issued to each participant which will be required for issue of refinery entry pass.

### **5.3 Supervisors' Training**

- a) Contractors' supervisors will have to undergo training on "Health and Safety in Refinery" followed by training on "Work Permit System".
- b) At the end of the training modules, there will be a written test and successful candidate will be certified online.
- c) The Certificate of training imparted to a supervisor would remain valid for one year.
- d) Refinery Entry Pass will not be issued to any supervisor without a valid training Passing Certificate.

### **5.4 Workers' Training**

- a) All Contractors workmen will have to undergo one day's class room training on "Safety in Refinery" before commencement of the job.
- b) On completion of this training, "Certificate of Attendance" would be issued by safety section.
- c) This "Certificate of Attendance" would remain valid for a period of one year.
- d) Refinery Entry Pass would be issued only on production of this certificate.

### **5.5 Refresher Training**

- a) Supervisors and Contractors workmen will be required to undergo refresher training from time to time as required by the safety section.
- b) The coverage and methodology of the refresher training would be same as the initial training.

### **5.6 Administration of Training**

- a) The Refinery Fire and Safety Department shall conduct these mandatory training programmes at the BPCL Sports club or any other venue as decided by BPCL.
- b) Notice giving schedule of exact dates of training for the current month would be issued to Maintenance Planning, Office Engineering & Construction, Contracts and Purchase and the Estates (P&A) by 25th of the previous month for notification to the contractors.

### **5.7 Contractors Responsibility for Training his employees**

- a) Contractor must ensure that all his supervisors & workmen have undergone safety training and keep documents of such training. He shall also ensure that each of his employees has received and understood the training for safe working in the refinery.
- b) Contractor must maintain records of training provided by him to his employees. Such records must clearly mention a) what training has been provided, b) date, time and duration of such training, c) who has provided the training, d) names of workers who attended such training etc.
- c) The records maintained in the form of a register must be available for examination by the BPCL.
- d) Training shall be job specific in addition to daily tool box talk and should be as frequent as possible.
- e) Tool box talk specific to the day's job shall be ensured by contractor supervisor/ safety supervisor to all workers and maintain attendance sheet.





फ) ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण जॉब के दौरान होने की अपेक्षा है और कम से कम एक घंटा की अवधि से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान ठेकेदार ( साइट प्रभारी / आरसीएम ) को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

## 6. रिफाइनरी प्रवेश पत्र का मामला

संविदा प्राप्त होने पर और / या काम के प्रारंभ से पूर्व ठेकेदार –

निगम के परिसर में नियुक्त किए जाने वाले समस्त ठेका श्रमिका / पर्यवेक्षकों के लिए पास प्राप्त करे।

पास के लिए आवेदन करने के लिए, साइट पर, अनुबंध श्रमिक / पर्यवेक्षकों के ऑन-लाइन समस्त विवरण भरें, जिसका लिंक निम्नानुसार है:

<https://ebiz.bpc.co.in/mrcms>

‘ऑन लाइन फॉर्म’ भरने के लिए सभी निर्देश और मार्गदर्शन ‘HELP दस्तावेज’ में दिए गए विवरण में बताए गए हैं, जोकि उपर्युक्त साइट पर उपलब्ध है।

आगे स्पष्टीकरण / सहायता हेतु, यदि कोई हो, तो आप अनुबंध श्रमिक प्रशासन कक्ष, पूर्व द्वारा – एमआर से संपर्क कर सकते हैं

कृपया ध्यान दें कि पास जारी करने के लिए आधार संध्या, बैंक खाता संख्या, ईएसआईसी नंबर या डब्लू सी नीति ( यथा प्रयोजनीय ) ), सक्षम प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

### सामान्य नियम और शर्तें :

ठेकेदार समय-समय पर लागू सभी केंद्रीय / राज्य श्रम कानूनों या अन्य वैधानिक नियमों, उनके नवीनतम संशोधन, उप-नियमों के साथ प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। श्रम कानून के गैर-अनुपालन / उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई कंपनी ( बीपीसीएल ) की किसी भी प्रकार की देनदारी की स्थिति में दंड राशि सहित समतुल्य राशि ठेकेदार को देय किसी भी देय राशि से वसूल का जाएगी।

ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का पालन करेगा और समय-समय पर बीपीसीएल में उनके द्वारा नियुक्त कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। ठेकेदार अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, जैसा कि केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जो भी अधिक हो, “सड़कों या रनवे का निर्माण या निर्माण कार्य में रखरखाव या रखरखाव.....” के अनुसूचित रोजगार के लिए भुगतान करेगा।

ठेकेदार कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और सक्षम पीएफ प्राधिकरणों द्वारा उनके पास आवंटित भविष्य निधि खाता होगा। ठेकेदार पीएफ अधिकारियों को देय अन्य सभी बकाया के साथ निर्धारित समय और तरीके के भीत नियोक्ता और कर्मचारी योगदान जमा करेगा।

यदि प्रयोज्य हो, तो ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अनुपालन करेगा और निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित खाते संख्या में मासिक कर्मचारी और नियोक्ता योगदान जमा करेगा। ईएसआईसी अधिनियम के प्रावधानों के गैर-प्रयोज्यता के मामले में, ठेकेदार कार्यकर्ता मुआवजा अधिनियम 1923 के प्रावधानों का पालन करेगा और मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कामगारों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए समूह पर्सनल आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत निगम के परिसर में तैनात अपने सभी कार्यकर्ताओं को शामिल करेगा।

ठेकेदार वेतन का भुगतान अधिनियम 1936 का पालन करेगा और मजदूरी अवधि के करीब होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर निगम के परिसर में उनके द्वारा तैनात कार्यकर्ताओं के वेतन का भुगतान करेगा। निगम के परिसर में तैनात संबंधित अनुबंध श्रम के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेतन और / या किसी भी भुगतान को हस्तांतरित करना ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा।

किसी भी समय यदि कंपनी के परिसर में उनके द्वारा तैनात कार्यकर्ताओं की संख्या 19 से अधिक होती है तो ठेकेदार को अनुबंध श्रम ( आर एंड ए ) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत श्रम लाइसेंस प्राप्त करना होगा।





- f) The training provided by the contractor is expected to be on the job training and must not be less than at least one hour duration. During such training contractor (Site in-charge /RCM) must make himself present and facilitate the process of the training.

## 6. ISSUE OF REFINERY ENTRY PASS

On award of a contract and/or prior to the commencement of work the Contractor must-

Obtain passes for all the contract labour/supervisors he wishes to deploy in the premises of the Corporation.

To apply for the passes, fill in all the details of contract labour/supervisors 'On- line', at the site, the link of which is as under:

<https://ebiz.bpc.co.in/mrcms>

All the instructions and guidance for filling the 'on line forms' are explained in details in 'HELP DOCUMENT', which is available at the aforesaid site.

For further clarification/ help if any, you may contact the Contract Labour Administration Cell, East Gate-MR

Kindly note that Aadhar No, Bank account No, ESIC No. or WC policy (as applicable), Medical Certificate from Competent Authority & Police Verification Certificate is mandatory for issue of the passes.

### COMMON TERMS & CONDITIONS:

The contractor shall ensure compliance of provisions of all central/state labour laws or other statutory Rules, regulation with their latest amendments, bye-laws, as applicable from time to time. Any liability incurred by Company (BPCL) on account of noncompliance/ violation of labour laws, an equivalent amount along with Fine shall be recovered from any dues payable to the contractor.

The contractor shall comply with the provisions of The Minimum Wages Act, 1948 and shall pay Minimum rates of wages to the workmen engaged by him at BPCL from time to time. The contractor shall pay his workmen the Minimum Wages as declared by the Central Government or State Government Of Maharashtra, whichever is higher, for the Scheduled Employment of "Construction or Maintenance of roads or Runways or in Building Operations.....".

The contractor shall comply with the provisions of The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and shall have Provident Fund Account, duly allotted to him by the Competent PF Authorities. The contractor shall deposit Employer and Employees Contribution within prescribed time and manner along with all other dues payable to PF authorities.

If applicable, the contractor shall comply with The Employees State Insurance Act, 1948 and shall deposit the monthly employees and employers contributions in the prescribed account number within specified time. In case of non-applicability of the provisions of ESIC Act, the contractor shall comply with the provisions of The Workmen Compensation Act, 1923 and shall cover all his workmen deployed at Corporation's premises under Group Personal Accident Insurance Scheme to meet the obligations under the Workmen Compensation Act, 1923.

The contractor shall comply with The Payment of Wages Act, 1936 and shall pay wages of the workmen deployed by him at Corporation's premises within prescribed time limit after close of wage period. It would be obligatory on to the Contractor to transfer the salary and/or any payments, electronically in the Bank Account of the concerned contract labour deployed by them in the premises of the Corporation.

The contractor shall obtain Labour License under the provisions of The Contract Labour(R&A) Act, 1970 in case the strength of the workmen deployed by them in the premises of company (BPCL) exceeds 19 on any day.



जब भी आवश्यक होगा, ठेकेदार को श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए दस्तावेजों (मूल में) को निगम में प्रस्तुत करना होगा।

ठेकेदार लागू श्रम कानूनों के अनुसार सभी रजिस्ट्रों और रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए बाध्य होगा और मांगे जाने पर, इन्हें निगम के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और इसके के अंतर्गत नियमों का पालन ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा और विशेषकर समयोपरि भत्ते का भुगतान, रजिस्ट्रों के रखरखाव आदि।

ठेकेदार ऐसे अधिनियम, कानून या विनियम आदी की प्रयोजनीयता और / या उल्लंघन के कारण उत्पन्न सभी दंड, दावे या उत्तरदायित्वों से कॉर्पोरेशन क्षतिपूरित रखेगा।

## 7. कार्य परमिट प्रणाली का पालन करने के लिए प्रतिबद्धता

- क) कार्य परमिट प्रणाली के अनुसार, रिफ़ाइनरी में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी वैध कार्य परमिट के बिना कोई भी काम न करें।
- ख) गैर-नेमी जॉब के लिए वैध कार्य प्राधिकरण आवश्यक है। कार्य के वास्तविक रूप से प्रारंभ होने से पहले, जहां काम किया जाना है वहां के यूनिट / संयंत्र के अधिकारी / प्रभारी से नियमित / गैर-नेमी जॉब्स हेतु परमिट प्राप्त करें।
- ग) परमिट में निर्दिष्ट समस्त अग्नि / सुरक्षा / खुदाई / रेडियोग्राफी परमिट शर्तों का अनुपालन करें।
- घ) काम शुरू करने से पहले काम के लिए एक सुरक्षा कार्य योजना तैयार करें। यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य में शामिल सभी पर्यवेक्षक और श्रमिक, सुरक्षा कार्य योजना को ठीक से समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं।
- ई) रिफ़ाइनरी के अधिकारियों के समक्ष, जब भी आवश्यकता हो, जाँच के लिए साइट पर परमिट प्रदर्शित करें।

**7.1** साइट पर उपयोग करने से पहले अग्नि और सुरक्षा विभाग द्वारा सभी अग्नि उपकरणों को मंजूरी दी जाएगी। सभी ठेकेदार के अग्निशमन उपकरणों को पहले फायर स्टेशन पर लाया जाना है और अग्नि विभाग द्वारा उपकरणों के टैनिंग के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अग्निशमन यंत्र निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा :

- अ. 6 किलो डीसीपी स्टोर के दबाव प्रकार के अग्नि शमन यंत्र के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण की पुष्टि आईएस 15683 नवीनतम संस्करण से की जाएगी। अग्निशामक वर्ग ए, बी और सी आग के लिए उपयुक्त होगा।
- ब. विघटित मीडिया: विच्छेदनकर्ता 90% यूएल लिस्टेड मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर से भरा जाएगा।
- स. ऑपरेटिंग निर्देश अग्निशमन यंत्र की बॉडी पर प्रदर्शित होने चाहिए। स्टिकर पर कार्य और स्टोर दबाव का उल्लेख करना होगा।
- द. बॉडी पर बीआईएस प्रमाणित स्थायी रूप से उत्कीर्ण आईएसआई चिन्ह होना चाहिए।
- य. ठेकेदार ओआईएसडी 142 / आईएस 2190 के अनुसार इसका और उसके साथ रखे जाने वाले रिकॉर्ड का मासिक निरीक्षण करेगा और जब आवश्यक हो बीपीसीएल प्राधिकरण के समक्ष इसका प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए।
- र. ठेकेदार कार्यस्थल पर अग्निशमन यंत्र को कार्य करने योग्य बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- ल. दोषपूर्ण आग बुझाने वाले यंत्रों को तुरंत ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और रिकॉर्ड अद्यतन हेतु इंजी-इन-चार्ज को सूचित करेगा।
- व. ठेकेदार कर्मियों को काम करते समय अग्निशमन यंत्र के संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- श. कार्य स्थल पर एफ एंड एस द्वारा यादृच्छिक जांच की जाएगी।
- स. संदर्भ के लिए कुछ ज्ञात विक्रेताओं की सूची निचे दी गई है। उपरोक्त अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इस विक्रेता या किसी अन्य विक्रेता से अग्निशमन यंत्र की खरीद के लिए संपर्क किया जा सकता है :



The contractor shall furnish documents (in originals) towards the compliance of labour laws, to the Corporation as and when required.

The contractor shall be obliged to maintain all the registers and records as per the applicable labour laws and need to submit the same to the Corporation for verification as and when sought for.

It shall be obligatory on the Contractor to follow the provisions of The Factories Act, 1948 and rules thereunder particularly that of Payment of Overtime allowances, maintenance of registers etc.

The contractor shall keep the Corporation indemnified against all penalties, claims and liabilities arising out of applicability and/or violation of such Act, laws or Regulations etc., by it or its contract labour (s).

## **7. OBLIGATION TO FOLLOW WORK PERMIT SYSTEM**

- a) Do not carry out any work without a valid work permit issued by authorized persons in the refinery, as per Work Permit System.
- b) Valid work authorisation for non-routine jobs is essential. Before the actual commencement of the work, obtain a permit for routine/non-routine jobs from the officer/charge hand of the unit/plant where the work is to be carried out.
- c) Comply with all the Fire/Safety/ Excavation/Radiography permit conditions specified in the permit.
- d) Prepare a safety action plan specific to the work before starting the work. Also ensure that all supervisors and workers involved in the work, properly understand and follow the safety action plan.
- e) Display permit at site for checking, by refinery officials whenever required.

7.1 All fire equipment shall be approved by Fire & Safety Department before use at site. All contractor's fire equipment to be brought to Fire station first and will be approved by tagging of equipment by Fire Dept. The fire extinguishers shall meet the following requirements:

- a. The design, construction and testing of 6 Kg DCP store pressure type extinguisher shall confirm to IS 15683 latest edition. The fire extinguisher shall be suitable for class A, B and C fires.
- b. Extinguishing media: Extinguisher shall be filled with 90% UL Listed Mono Ammonium Phosphate powder.
- c. Operating instruction shall be displayed on extinguisher body. Working and store pressure shall mention on the stickers.
- d. It shall have BIS certified permanently engraved ISI mark on body.
- e. Contractor shall carry out its monthly inspection as per OISD 142 /IS 2190 and record to be maintained with them and shall be able to produce it to BPCL authority as and when required.
- f. Contractor is responsible for maintaining the healthiness of fire extinguisher at worksite.
- g. Defective fire extinguishers shall be replaced immediately by the contractor and shall notify Engg-In-charge for record updating.
- h. Contractor personnel shall be trained in operating of fire extinguisher while at work.
- i. Random check by F&S shall be carried out at work site.
- j. List of some of the known vendors is given below for reference. These vendor or any other vendors who can meet the above mentioned requirement may be approached for purchase of the extinguishers:



विक्रेता का नाम	पता	संपर्क
फायर स्टोन इंडस्ट्रीज	यूनिट नंबर, आदित्य इंडल इस्टेट. देवरुखार वाडी, चिंचोली बंदर रोड, लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई - 400 064, भारत	2878 5224 / 3097 3688 fireston@vsnl.net
कनाडिया फायर फायटर प्राइवेट लिमिटेड	ए - 110, कनारा बिज़नेस सेंटर, लक्ष्मीनगर, एवरेस्ट गार्डन अपार्टमेंट के पीछे, घाटकोपर (पूर्व), मानकर, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 075.	022 2500 1288 info@kanexfire.com
इनटाइम अग्नि उपकरण	301 टाइम्स स्क्वायर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, (साई सर्विस के बगल में), अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - 400 069.	+91 22 49180900 orders@intimefire.com ho@intimefire.com

## 8. पर्यवेक्षण की आवश्यकता

- अ) ठेकेदार साइट पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना कोई भी काम नहीं करेगा। अगर एक ही अनुबंध के तहत एक से अधिक स्थान पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक स्थान पर पर्यवेक्षक रखा जाना चाहिए। अगर किसी पर्यवेक्षक को अपनी साइट को किसी भी कारण से छोड़ना पड़ता है, तो उसे उस समय के लिए अपनी साइट की गतिविधियों को रोकना होगा।
- ख) यदि कोई ठेकेदार 30 से कम कर्मचारियों को रोजगार देता है, तो वह एक सुरक्षा प्रबंधक के रूप में एक समर्पित पर्यवेक्षक को निर्दिष्ट करेगा। ठेकेदार प्रत्येक 30 व्यक्ति या अधिक के लिए एक योग्य सुरक्षा प्रबंधक (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा) नियुक्त करेगा। एक से अधिक सुरक्षा प्रबंधक के लिए, इनमें से एक को मुख्य सुरक्षा प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा ठेकेदार, यदि 100 से अधिक कर्मचारि नियुक्त करता है तो, एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त करेगा। सुरक्षा अधिकारी औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी समकक्ष योग्यता और प्रासंगिक उद्योग अनुभव के न्यूनतम 2 वर्ष होंगे। एक से अधिक सुरक्षा अधिकारी के लिए, इनमें से एक को मुख्य सुरक्षा प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोनों मामलों में, ठेकेदार को ऐसे व्यक्तियों के नाम इंजिनियर-इन-चार्ज और मैनेजर सेफ्टी को लिखित में निर्दिष्ट करना चाहिए।
- स) ठेकेदार के सुरक्षा समन्वयक या उसके पर्यवेक्षक जो सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, उनके कार्य स्थल पर औपचारिक सुरक्षा निरीक्षण और एक सप्ताह में कम से कम एक बाप लेखापरीक्षा करें। इस तरह के दस्तावेजों को उनकी समीक्षा और रिकॉर्ड के लिए अभियंत-इन-प्रभार के पास जमा करना है।
- द) ठेकेदार के सुरक्षा पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अलग सुरक्षा रजिस्टर बनाएंगे जिसमें 1) साइट पर होने वाली गतिविधियों की सूची शामिल होगी; 2) सभी पर्यवेक्षकों और कामगारों का सुरक्षा प्रशिक्षण विवरण; 3) सभी दुर्घटनाओं, प्राथमिक चिकित्सा के मामलों और नजदीकी यादों के रिकॉर्ड; 4) साइट पर इस्तेमाल होने वाले सभी पीपीई का रिकॉर्ड; 5) उठाने के उपकरण के रिकॉर्ड और सभी प्रकार के स्लिंग्स सहित टैकल्स; 6) अपनी साइट पर, यदि कोई है, दबाव वाहिकाओं के रिकॉर्ड; 7) सभी वेल्डिंग मशीन, गैस कटौती सेट, कंप्रेसर्स, जनरेटर, दबाव नियामकों, पोर्टेबल बिजली उपकरण, हाथ उपकरण आदि के रिकार्ड; 8) ठेकेदार सुरक्षा पर्यवेक्षक और साथ ही बीपीसीएल रिफाइनरी द्वारा की गई सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां।
- ई) ठेकेदारों, जिनके सुरक्षा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं हैं, उन्हें गंभीरता से देखा जाएगा और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई (जैसे रजिस्ट्रेशन / कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करना) की जाएगी।
- च) ठेकेदार पूर्व-नौकरी समीक्षा बैठक के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, जैसा प्रयोजनीय हो :
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षा योजना का दस्तावेजीकरण और इसके अनुमोदन के बाद कार्यान्वयन करें।
  - सुरक्षा प्रबंधक और अधिकारियों के सीवी



Name of Vendor	Address	Contact No
Fire Stone Industries	Unit No.15, Aditya Indl. Estate, Devrukhar Wadi, Chincholi Bunder Road, off Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, INDIA.	2878 5224 / 3097 3688 fireston@vsnl.net
Kanadia Fyr Fyter Private Limited	A - 110, Kanara Business Center, Laxminagar, Behind Everest Garden Apartments, Ghatkopar (East), Mankur, Mumbai, Maharashtra - 400 075.	022 2500 1288 info@kanexfire.com
Intime Fire Appliances	301 Times Square, Western Express Highway, (next to Sai Service), Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400069.	+91 22 49180900 orders@intimefire.com ho@intimefire.com

**8. REQUIREMENT OF SUPERVISION**

- a) Contractor will not carry out any work without having a supervisor present at site. If it is required to work simultaneously in more than one location under the same contract, one supervisor must be put in each of the locations. If a supervisor has to leave his site for any reason, he must stop his site activities for that period of time.
- b) If a contractor is employing less than 30 employees, he shall designate one dedicated supervisors as a safety steward. For every 30 persons or more contractor shall appoint one qualified safety steward (Diploma in industrial safety from government recognized Institute). For more than one safety steward, one of them shall be appointed as Chief safety steward. In addition to above contractor shall also appoint one safety officer, if he employs more than 100 workers. Safety officer shall have Diploma in Industrial Safety or any equivalent qualification from Government Recognized Institute and minimum 2 years of relevant industry experience. For more than one safety officer, one of them shall be appointed as Chief safety steward. In both the cases, the contractor must specify in writing the name of such persons to the Engineer-in-Charge and Manager Safety.
- c) Contractor's safety co-ordinator or his supervisor responsible for safety as the case may be shall conduct at his work-site and document formal safety inspections and audits at least once in a week. Such documents are to be submitted to Engineer-in-Charge for his review and record.
- d) Contractor's safety supervisor or the supervisor responsible for safety, shall maintain separate safety register which will include 1) List of activities being carried out at site; 2) Safety Training details of all supervisors and workmen; 3) Records of all accidents, first aid cases and near misses; 4) Records of all PPE's being used at site; 5) Records of lifting tools and tackles including slings of all types; 6) Records of pressure vessels if any at his site; 7) Records of all welding machines, gas cutting sets, compressors, generators, pressure regulators, portable power tools, hand tools etc. 8) Copies of safety inspection reports made by the Contractor safety supervisor as well as by the BPCL refinery.
- e) The contractors whose safety records are not satisfactory will be viewed seriously and necessary action (viz. cancellation of Registration/Contracts) shall be taken against him.
- f) The contractor shall provide the following documentation for the pre-job review meeting, as applicable:
  - Documented Safety Plan for implementation, monitoring and reporting of Health, Safety and Environment (HSE) and implement the same after its approval.
  - CVs of safety stewards and officers






- अभिप्रेत सेवा सहित पोर्टेबल उपकरण / साधनों की एक सूची जिसे ठेकेदार साइट पर लाएगा ।
- पोर्टेबल उपकरण / उरकरण समग्र आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसका सत्यापन
- क्रेन और फोर्कलिफ्ट जैसे उपकरणों को उठाने के लिए निरीक्षण का रिकॉर्ड
- निर्माता द्वारा अभिप्रेत रूप में कर्मियों के लिफ्ट उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है इसका सत्यापन ।
- प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन्स द्वारा विद्युत उत्पादन उपकरण अखंडता का सत्यापन
- दबाव उपकरण नियामक मानकों को पूरा करती है इसका सत्यापन
- क्राफ्ट कौशल सत्यापन
- उपठेकेदार मूल प्रस्ताव पर हैं और पएसएईई योग्य सूची पर हैं इसका सत्यापन ।

## 9. निजी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

- i) ठेकेदार के सभी पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करना चाहिए, इनके बिना काम करने की अनुमति से इनकार किया जाएगा ।

अ.	सख्त टोपी 	ब.	सुरक्षा जूते 
स.	बायलर सूट 	द.	कार्य की आवश्यकता के अनुसार हाथ के दस्ताने 
य.	लागू के रूप में सुरक्षा बेल्ट 	र.	नेत्र सुरक्षा चश्में आदि 

- A list of portable equipment/tools that the contractor will be bringing on site including the intended service.
- Verification that portable equipment/tools meet integrity requirements
- Inspection records for lifting equipment such as cranes and forklifts.
- Verification that personnel lift equipment is being used as intended by the manufacturer.
- Verification of electrical generating equipment integrity by a certified electrician.
- Verification that pressure equipment meets regulatory standards.
- Craft skills verification.
- Verification that subcontractors are on original proposal and on the HSSE Qualified list.

## 9. USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

- i) Contractor's all supervisors and workmen must use following Personal Protective Equipment (PPE's) without which permission to work will be denied.

a.	Hard Hat 	b.	Safety Shoes 
c.	Boiler Suits 	d.	Hand Gloves as per job requirement 
e.	Safety belt as applicable 	f.	Eye protection goggles 



ल.	“श्वसन उपकरण सेट” और आग बुझानेवाले यंत्र बीपीसीएल द्वारा ठेकेदार को पूर्व सूचना के साथ ऋण आधार पर प्रदान किए जाएंगे। अगर अनुबंध समाप्त होने के बाद भी इसे वापस नहीं किया जाता है, या मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त उचित होता है तो कंपनी उसकी देय राशि से उचित वसूली करेगी।	
		

पीपीई मानक गुणवत्ता युक्त और आईएसआई स्वीकृत होगा।

विभिन्न पीपीई के लिए मंजूरी कसौटी और मानक निम्नानुसार हैं :

अनु.क्र.	पीपीई	आईएस / ईएन मानक	निर्माता
1.	सुरक्षा हेलमेट	IS 2925 / BS EN 397	यूसुफ लेस्ली, उद्योगी, करम, वीनस, यूनीकेरे, 3 एम
2.	सुरक्षा के जूते	IS 15298 / EN 345 / EN ISO 20345	करम, सुपरहाउस, एक्मे, लिबर्टी, बाटा
3.	सुरक्षा चश्मे	EN 166	यूनिक्वेयर, 3 एम, उद्योगी, हनीवेल करम, शुक्र
4.	डबल डोरी पूर्ण शरीर सुरक्षा हार्नेस (सुरक्षा बेल्ट)	IS 3521/ EN 361	कर्म, उद्योगी, 3 एम, यूनिक्वेयर,

- ii) ठेकेदार बोल्ट कसने या ढीले करने से संबंधित गतिविधि के दौरान हथौड़ों के उपयोग के समय उंगली सेवर उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि साइट पर पर्याप्त संख्या में उंगली सेवर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।



- iii) वेल्डर की हेलमेट (हेल्मेट से जुड़ी चेहरे की ढाल) वेल्डिंग के दौरान वेल्डर द्वारा उपयोग की जानी चाहिए।
- iv) जहां गम बूट का इस्तेमाल करना आवश्यक है वहां धातू सहित सुरक्षा गंबूट या समान टो टोपी का इस्तेमाल करना।
- v) नमूना पीपीआई को, स्वीकृति के लिए, नौकरी की शुरुआत से पहले सुरक्षा अनुभाग में जमा कर दिया जाएगा और ठेकेदारों द्वारा इन्हीं पीपीआई का उपयोग अनुमोदन के बाद किया जाएगा। अनुमोदन फॉर्म प्रारूप निम्नानुसार है :

9.	Breathing Apparatus Set”and Fire Extinguishers shall be provided by BPCL to the contractor, on loan basis with prior intimation. If the same is not returned after completion of the contract or damaged beyond repair, recovery as appropriate will be made from his dues, from the company.	
		

The PPE’s shall be of standard quality and ISI approved.

The approved makes and standards for various PPE’s are as follows:

Sr. No.	PPE	IS / EN STD	Manufacturers
1.	Safety Helmet	IS 2925 / BS EN 397	Joseph Leslie, Udyogi, Karam, Venus, Unicare, 3M
2.	Safety Shoes	IS 15298 / EN 345 / EN ISO 20345	Karam, Superhouse, Acme, Liberty, Bata
3.	Safety Goggles	EN 166	Unicare, 3M, Udyogi, Honeywell, Karam, Venus
4.	Double Lanyard Full body Safety Harness (Safety belt)	IS 3521/ EN 361	Karam, Udyogi, 3 M, Unicare

- ii) Contractor shall compulsorily use finger saver tools during bolt tightening or loosening activity involving use of hammer and shall ensure adequate numbers of finger savers are readily available at site.



- iii) Welder’s helmet (welding face shield attached to helmet) needs to be used by welders during welding.
- iv) Safety gumboots with metal or similar toe cap to be used wherever gum boots are required to be used.
- v) Sample PPEs shall be submitted to Safety Section before start of the job for approval and only those PPEs shall be used by contractors after due approval. The approval form format follows:



	ठेकेदार का नाम -		
अनु.क्र.	पीपीई	आई एस / एन एसटीडी	निर्माता
1.	सुरक्षा हेलमेट		
2.	सुरक्षा के जूते		
3.	सुरक्षा चश्मे		
4.	डबल डोरी पूर्ण शरीर सुरक्षा हार्नेस (सुरक्षा बेल्ट)		
_____ सुरक्षा अधिकारी			

### 9.1 अन्य शर्तें

- I. रिट्यूबिंग / सफाई कार्य के दौरान इलेक्ट्रिक रेमर (2 मीटर से अधिक की लंबाई) का संचालन करते समय, रेमर के लिए फर्म यांत्रिक स्पॉर्ट प्रदान करने के संबंध में ध्यान रखा जाएगा । लंबे रेमर के हैंड सपोर्टिंग से बचना चाहिए । इलेक्ट्रिक रिमर्स ऑपरेटिंग करते समय ठेकेदार के कर्मचारी विनिर्माता सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करेंगे ।
- II. सभी डीजल मशीनों / वाहनों में पीईएसओ स्वीकृत स्पार्क अरेस्टर फिट किया जाएगा । संदर्भ के लिए कुछ ज्ञात विक्रेताओं की सूची नीचे दी गई है । ये विक्रेता या अन्य कोई विक्रेता जो ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, से स्पार्क अरेस्टर की खरीद के लिए संपर्क किया जा सकता है :



विक्रेता का नाम	पता	संपर्क
नौ-निध ट्रेडिंग कं.	12 9/4570, न्यू तिलक नगर, चेंबूर	022 25221627 9820174864 naunidh12@gmail.com
ऋषि इंजीनियरिंग एसोसिएशन	मयूर कांग्रेस हाउस लेन, 377, वी.पी. रोड	022 23857632 9821112147 rishiengg@hotmail.com
केंद्रीय स्टोर आपूर्ति कं.	10 औद्योगिक हाउस, दूसरा तल, 51-53, नागदेवी एक्स लेन	9819820855 9820179434 centralstoresc@gmail.com
वसंत ऑटो वर्क्स	मांगलदीप, दातार कॉलोनी, भांडूप - चेंबूर कैम्प में शॉप	022 25568083 9820045020 nchitnis@gmail.com
फायर स्टोन इंडस्ट्रीज	यूनिट नंबर 15, आदित्य इंडल एस्टेट, देवरुखार वाडी, चिंचोली बंदर रोड ऑफ लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई - 400 064. भारत	2878 5224 / 3097 3688 fireston@vsnl.net
कनाडिया फायर फायटर प्राइवेट लिमिटेड	ए - 110, कनारा बिज़नेस सेंटर, लक्ष्मीनगर, एरारेस्टर गार्डन अपार्टमेंट के पीछे, घाटकोपर(पूर्व), मानकर, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 075.	022 2500 1288 info@kanexfire.com
इनटाइम फायर एपलैसेंस	301 टाइम्स स्क्वायर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, (अगली तेईई सेवा), अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069.	+91 22 49180900 orders@intimefire.com ho@intimefire.com





	Contractor Name		
Sr. No.	PPE	IS / EN STD	Manufacturers
1.	Safety Helmet		
2.	Safety Shoes		
3.	Safety Goggles		
4.	Double Lanyard Full body Safety Harness (Safety belt)		
_____ Safety Officer			

**9.1 Other conditions**

- i. While operating the electric reamer (length more than 2 mtr) during retubing/cleaning job, care shall be taken to provide firm mechanical support to the reamer. Hand supporting of long reamer shall be avoided. Contractor personnel shall maintain manufacturer safety guidelines while operating the electric reamers.
- II. PESO approved Spark arrestor shall be fitted to all diesel machines/ vehicles.



List of some of the known vendors is given below for reference. These vendor or any other vendors who can meet the above mentioned requirement may be approached for purchase of the spark arrestor:



Name of Vendor	Address	Contact No.
Nau-Nidh Trading Co.	129/4570, New Tilak Nagar, Chembur	022 25221627 9820174864 naunidh12@gmail.com
Rishi Engg. Associates	Mayur Congress House Lane, 377, V. P. Road	022 23857632 9821112147 rishiengg@hotmail.com
Central Stores Supplying Co.	10 Industrial House, 2nd Floor, 51-53, Nagdevi X Lane	9819820855 9820179434 centralstoresc@gmail.com
Vasant Auto Works	10, Maangaldeep, Datar Colony, Bhandup, Shop In Chembur Camp	022 25568083 9820045020 nchitnis@gmail.com
Fire Stone Industries	Unit No.15, Aditya Indl. Estate, Devrukhar Wadi, Chincholi Bunder Road, Off Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. India	2878 5224 / 3097 3688 fireston@vsnl.net
Kanadia Fyr Fyter Private Limited	A - 110, Kanara Business Center, Laxminagar, Behind Everest Garden Apartments, Ghatkopar (East), Mankur, Mumbai, Maharashtra - 400 075.	022 2500 1288 info@kanexfire.com
Intime Fire Appliances	301 Times Square, Western Express Highway, (Next To Sai Service), Andheri (East), Mumbai - 400 069.	+91 22 49180900 orders@intimefire.com ho@intimefire.com

- III. सभी सिलेंडरों में गार्ड टोपियां होंगी। गैस सिलेंडर के होसेस की क्षति / लीक के लिए जाँच की जाएगी और तब तक इसका उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक इन्हें प्रतिस्थापित / ठिक न किया जाए। गैस सिलेंडरों को ट्रॉलियों में स्टोर किया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा।



- IV. सभी नली कनेक्शनों के लिए सचेतक कनेक्टर्स स्थापित किए जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि साइट पर पर्याप्त संख्या में सचेतक कनेक्टर्स आसानी से उपलब्ध हो जाएं।



- V. पानी पंप, जनरेटर, अन्य पंप, पंखें आदि मशीन के घूमने वाले हिस्सों के लिए उनके घूर्णन वाले भागों को उचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।



- VI. सभी उपकरण और टैकल्स, मशीनरी और उपकरणों की जांच एजेंसी द्वारा विजुअल निरीक्षण और रिफाइनरी के अंदर उपकरण लाने के संबंध में कार्यान्वित विधियों द्वारा किया जाएगा। इन उपकरणों का प्रमाणीकरण बीपीसीएल द्वारा कार्यान्वित एजेंसी द्वारा उपकरण संख्या सहित हस्ताक्षरित चेकलिस्ट के सापेक्ष किया जाएगा। सुरक्षा अधिकारी इस के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और टैग नंबर का उल्लेख करने वाले उपकरण को टैग करेगा। टैगिंग वैधता महीने की होगी ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल बीपीसीएल टैग किए गए उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

- VII. सभी पोर्टेबल विद्युत उपकरण जैसे कि वेल्डिंग मशीन, पीसने / काटने / ड्रिलिंग मशीन, डीजी सेट आदि बीपीसीएल विद्युत अधिकारी द्वारा प्रमाणित और टैग किए जाएंगे और अनुपालन की जांच बीपीसीएल सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- VIII. सभी हॉपर / प्रेशर वाहिकाओं को राहत वाल्व के साथ लगाया जाएगा और लागू होने वाले महाराष्ट्र फैक्ट्रियों नियम या अन्य राज्यों के नियमों के अनुसार दबाव संवहनी के लिए फॉर्म नंबर 13 में मान्य प्रमाण पत्र होगा। पहचान संख्या वेसल (पात्र) पर एंबॉस की जाएगी। राहत वाल्व का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण प्रमाणपत्र बीपीसीएल को सौंप दिया जाएगा।



- IX. महाराष्ट्र कारखाना नियम (या अन्य राज्यों के नियम) के अनुसार फार्म 11 क्रेन, फरहाना, एस्कॉर्ट 15 और अन्य सभी भारी उठाने वाली मशीनों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

- X. तैनात की गई सभी प्रकार की क्रेन में लहराई सीमा स्विच और सुरक्षित कार्य लोड इंटरलॉक होना चाहिए।

- XI. क्रेन / फरहाना की सहायता से सामग्री स्थानांतरण नहीं की जाएगी। (यानी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फरहाना / क्रेन हुक द्वारा नहीं लाया जाना चाहिए)

- XII. इन्सुलेशन सहित समस्त सामग्री ऊंचाई से नहीं फेंकी जानी चाहिए लेकिन जैसी आवश्यकता हो बैग या अन्य तरीकों से निपटान के स्थान पर सुरक्षित रूप से नीचे लाई जानी चाहिए।

- XIII. पाइप लाइन, रेलिंग, ग्रेटिंग, मचान पाइप आदि का सपोर्ट रिगिंग उद्देश्य के लिए नहीं लिया जाएगा। आवश्यक लोड के लिए तैयार किए गए मुख्य संरचनाओं का सपोर्ट बीपीसीएल की सहमति से रिगिंग के लिए उपयोग में लिया जाएगा।



- III. All cylinders shall have guard caps. Gas cylinders hoses shall be checked for damages/ leaks and shall not be used unless replaced/ attended. Gas cylinders shall be stored & secured properly in Trolleys.



- IV. Whip connectors shall be installed for all hose connections and shall ensure adequate numbers of whip connectors are readily available at site.



- V. All rotating equipment like water pumps, generators, other pumps, fans etc shall be provided with proper guards for rotating parts of the machine.



- VI. All tools and tackles, machineries and equipment's will be checked by executing agency by visual inspection and according to applicable legislations on bringing the equipment inside Refinery. The certification of these equipment will be done by BPCL Executing agency against the Checklist duly signed with Equipment number on it. Safety officer shall ensure compliance to the same and will tag the equipment mentioning the tag number. Tagging validity will be 6 months. Contractor has to ensure that only BPCL tagged equipment are used.

- VII. All portable electrical equipment such as welding machines, grinding/ cutting/ drilling machines, DG set etc will be certified and tagged by BPCL electrical officer and compliance will be checked by BPCL Safety Officer.

- VIII. All hoppers / Pressure vessels shall be fitted with Relief valve and shall have valid certificate in Form no 13 required for Pressure vessel as per Maharashtra factories Rule or other states rules as applicable. The identification number shall be embossed on the vessel. Relief valve shall be tested and test certificate shall be submitted to BPCL.



- IX. Form 11 as per Maharashtra Factories Rules (or other states rules) shall be displayed on the crane, Farhana, Escort 15 and all other heavy lifting machineries.

- X. All kind of cranes deployed shall have hoist limit switch and safe working load interlock.

- XI. Material shifting shall not be done with the help of Crane / Farhana. (i.e the material should not be moved from one place to another on Farhana / Crane Hook.

- XII. Material including insulation shall not be thrown from height but shall be safely brought down to disposal location in bags or other means as required.

- XIII. Support of pipeline, railing, gratings, scaffolding pipes etc shall not be taken for rigging purpose. Support from main structures designed for the required load shall be taken for rigging with BPCL consent.



- XIV. सभी परिवद्ध स्थान प्रविष्टियों के लिए सीएसई परिचर / स्टैंडबाय व्यक्ति सुनिश्चित किया जाएगा ।



- XV. फायर वॉच व्यक्ति को उष्ण काम के दौरान प्रदान किया जाएगा ।



- XVI. परिवद्ध स्थान प्रविष्टि के दौरान उचित वेंटिलेशन के लिए निकास पंखों, एडक्टर्स, आर्मीडिफ़र आदि की पर्याप्त संख्या प्रदान की जानी चाहिए ।



- XVII. जहां कहीं भी खुदाई हो, क्षेत्र को ऊपर से घेरने के लिए कड़े अवरोधन का उपयोग किया जाएगा । खुदाई के दौरान इस्तेमाल किए गए हैंड टूल्स, इनुसेट हैंडल के साथ होंगे ।

- XVIII. भारी सामग्री को मैन्युअल रूप से नहीं बल्कि मशीनों के उपयोग से नियंत्रित किया जाएगा । सामग्री प्रबंधन कार्यों के लिए पर्यवेक्षक द्वारा एक विस्तृत जेएसपी (नौकरी सुरक्षा योजना) सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

- XIX. ठेकेदारों को, एक एंड एस विभाग और विभाग के प्रमुख द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद, आंतरिक रूप से सुरक्षित यूएचएफ / वीएचएफ और आंतरिक रूप से सुरक्षित मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति है ।



- XX. रोप एक्सेस टीम न्यूनतम एक स्तर 2, एक स्तर 3 विशेषज्ञ सहित आईअआरएटीए प्रमाणीकृत होगी । सभी कार्यकर्ता आईअआरएटीए प्रमाणित होंगे ।



- XXI. रिफाइनरी परिसर को “धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र” के रूप में अधिसूचित किया गया है रिफाइनरी में शराब और प्रतिबंधित पदार्थ / ड्रग्स के प्रभाव में काम करने पर रोक लगाई गई है, जिसमें कर्तव्य यात्रा पर जाना भी शामिल है ।



- XXII. दैनिक नौकरी सुरक्षा योजना ठेकेदार नौकरी प्रतिनिधि विशिष्ट कार्यों, उनके खतरों और जोखिमों और नियंत्रण उपायों की पहचान के लिए दैनिक जॉब सुरक्षा योजना तैयार करेगा । यह बीपीसीएल कार्य निष्पादक / एचएसईई स्टाफ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । यह सभी कार्यों की एक औपचारिक समीक्षा है और इसका दस्तावेजीकरण किया जाना है ।

- XXIII. बीपीसीएल 12 जीवन बचत नियमों का हर समय सम्मान और पालन किया जाएगा ।





- XIV. CSE attendant / Standby Person shall be ensured for all confined space entry.



- XV. Fire Watch person shall be provided during Hot work.



- XVI. Adequate numbers of exhaust fans, eductors, humidifiers etc shall be provided for proper ventilation during confined space entry.



- XVII. Rigid barricading shall be used to cordon off the area properly wherever excavated. Hand tools used during excavation shall be with insulated handles.

- XVIII. Heavy material shall be handled using machines and not manually. A detailed JSP (Job Safety Plan) to be ensured by supervisor for material handling jobs.

- XIX. Contractors are allowed to use intrinsically safe UHF/ VHF and Intrinsically Safe Mobile Phones as Communication mode after authorisation from F&S department and Department Head.



- XX. Rope access team shall have IRATA certification with minimum one Level 2, one Level 3 expert. All workers shall be IRATA certified.






- XXI. The Refinery premises is notified as a “No Smoking Area”. Refinery prohibits working under the influence of Alcohol & banned substances / drugs at its work place including on the duty travel.





- XXII. Daily Job Safety Plan: The Contractor Job Representative shall prepare daily job safety plan to identify specific tasks, their hazards and risks and control measures. This shall be approved by BPCL job Executor/ HSSE staff. This is a formal review of all tasks and to be documented.

- XXIII. BPCL 12 Life Saving Rules shall be respected and complied with at all the times.

1.	पीपीई – अनिवार्य पीपीई के बिना कोई काम नहीं ।	
2.	वर्क परमिट सिस्टम प्राप्त करें और अनुसरण करें – काम की शुरूआत से पहले वर्क परमिट प्राप्त करें और सभी शर्तों का पालन करें ।	
3.	जेएसपी / एसओपी का पालन करें – हमेशा कार्य सुरक्षा योजना / सुरक्षित संचालन प्रक्रिया का पालन करें ।	
4.	परिवर्तन का प्रबंधन – एमओसी हस्ताक्षरित और प्राधिकृत किये बिना कोई संशोधन नहीं ।	
5.	केवल अधिकृत व्यक्ति – किसी भी उपकरण का संचालन न करें या उस क्षेत्र में प्रवेश न करें जिसके लिए आप अधिकृत नहीं हैं ।	
6.	लॉक आउट और टैग आउट – काम शुरू होने से पहले अलगाव सत्यापित करें और देखें कि लॉटो उपकरण जगह पर लगा हैं ।	
7.	ऊँचाई पर कार्य करना – 6 फीट से अधिक ऊँचाई पर काम करते समय चिन पट्टी के साथ कठोर कनेक्शन सुरक्षा हेलमेट के साथ फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करें ।	
8.	हस्तक्षेप – यदि कोई व्यक्ति जीवन रक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो हस्तक्षेप करें ।	
9.	सुरक्षा प्रणाली ओवराइड – नामित व्यक्ति द्वारा पूर्व अधिकृत किए बिना सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरणों को ओवरराइड या अक्षम न करें ।	
10.	परिरूद्ध स्थल प्रविष्टि – परिरूद्ध स्थल प्रविष्टि से पहले प्राधिकरण प्राप्त करें और गैस परीक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सुनिश्चित करें कि भीतर कोई भी खतरनाक माहौल नहीं हैं ।	

1.	PPE - No work without Mandatory PPE.	
2.	Obtain and follow Work permit system - Obtain work permit before start of work and follow all conditions.	
3.	Follow JSP / SOP - Always follow Job Safety Plan / Safe Operating Procedures.	
4.	Management of Change – No modifications without MOC signed and authorized.	
5.	Authorized Persons Only – Don't operate any equipment or enter any area for which you are not authorized.	
6.	Lock Out and Tag Out - Verify isolations before work begins and LOTO equipment are put in place.	
7.	Working at Height - Use full Body Harness, anchored with rigid connection safety helmet with Chin Strip tightened while working at height more than 6 feet.	
8.	Intervene - Intervene if somebody violates Life Saving Rules.	
9.	Safety System Override - No overriding or disabling safety critical equipment without pre authorization from designated person.	
10.	Confined Space Entry - Obtain Authorisation before Confined Space Entry and ensuring no hazardous atmosphere inside based on gas test certificate.	



11.	सीट बेल्ट पहनें – चार पहिय वाहनों और उत्पान परिवहन फ्लीट के सभी ऑक्युपंट सीट बेल्ट पहनें ।	
12.	एल्कोहल एवं ड्रग्स – कार्य और ड्राइविंग करते समय एल्कोहल एवं ड्रग्स का उपयोग न किया जाए ।	

### 10. एच 2 एस, ओ 2, एचसी मीटर के लिए विशेष शर्तें :

रिफाइनरी संयंत्र के क्षेत्रों में काम करते समय ठेकेदारों द्वारा प्रति काम के स्थान पर न्यूनतम दो नंबर पोर्टेबल एच 2 एस गैस डिटेक्टर बनाए जाएंगे । ठेकेदार द्वारा प्रत्येक हॉटवर्क स्थान पर न्यूनतम एक नंबर एचसी मीटर लाया जाएगा ।

ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक 3 परिबद्ध स्थल प्रविष्टि नौकरियों के लिए न्यूनतम एक नंबर ओ 2 मीटर लाया जाएगा ।

एच 2 एस, ओ 2 और एचसी गैस मीटर प्रमाणित होगा और उसके साथ वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए । पोर्टेबल मीटर प्रमाण पत्र और टेस्ट प्रमाण पत्र क्यूएमआई समूह को प्रस्तुत किया जाएगा । बीपीसीएल मीटर से पहले उपयोग को टैग करेगा केवल बीपीसीएल प्रमाणित मीटर का उपयोग किया जाएगा । पोर्टेबल गैस डिटेक्टर हनीवेल, ड्रेजर, एमएसए, रिक्न केकी जैसे प्रतिष्ठित निर्माता का होना चाहिए । बहु सेंसर पोर्टेबल डिटेक्टर भी स्वीकार्य है ।





ठेकेदारों द्वारा लाए गए / उपयोग किए जाने वाले पोर्टेबल गैस डिटेक्टरों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :

- प्रदर्शन : मैनुअल बैकलाईट लिट विकल्प के साथ वास्तविक समय गैस संकेंद्रण का निरंतर प्रदर्शन ।
- आरंभ करने पर : संवेदक, बैटरी, सर्किट अखंडता, वर्तमान अलार्म सेट अंक और दिन के देय अंशांकन तक स्वतः परीक्षण प्रदर्शित करें ।
- बंद स्विचिंग : आकस्मिक स्विचिंग बंद को रोकने के लिए, डिटेक्टर एकल बटन के संचालन से बंद नहीं होना चाहिए, इसमें एक समयबद्ध फंक्शन होता है जो श्रव्य और दृश्य बंद संकेत प्रदान करता है ।
- क्षेत्र वर्गीकरण : एनईसी 500 के अनुसार पूर्व-प्रमाण, वर्ग I, डिवि. 1, गैस समूह ए, बी, सी, डी एंड टी 4
- पोर्टेबल डिटेक्टरों में पीईएसओ प्रमाणीकरण होना चाहिए ।
- श्रव्य अलार्म : 95 डीबी का बजर आउटपुट ।
- दृश्य अलार्म : चमकता अलार्म कई कोणों से दिखाई देगा ।
- गैस अलार्म स्थिति ( कम, उच्च, एसटीईएल और टीडब्लूए ), कम बैटरी और सेंसर की गलती की स्थिति दर्शित होगी और चेतावनी दी जाएगी ।
- अंशांकन : प्रतिष्ठित एजेंसी से प्रमाणित अंशांकन गैस सिलेंडर ( एन-बुतन ) के साथ त्रैमासिक डिटेक्टर विक्रेता द्वारा जांचे जाएंगे । मांगे जाने पर कैलिब्रेशन गैस सिलेंडर प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए । विक्रेता को साइट पर डिटेक्टर अंशांकन प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड रखना होगा ।
- प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से अंशांकन और अंशांकन गैस संकेंद्रण और वैधता के दौरान देखे गए बहाव को स्पष्ट रूप से इंगित करे ।
- इतिहास : सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करना चाहिए और डेटा को डिटेक्टर मेमोरी में संग्रहित किया जाना चाहिए ।







11.	Wear Seat Belt - All occupants of four wheelers and product transportation fleet to wear seat belt.	
12.	Alcohol and Drugs - No use of alcohol and drug whilst working or driving.	

**10. SPECIAL CONDITIONS FOR H2S, O2, HC METER :**

Minimum two numbers of portable H2S gas detectors per work location shall be ensured by contractors while working in refinery plant areas.

Minimum one number of HC meter per hotwork location shall be brought by contractor.

Minimum one number of O2 meter for every 3 confined space entry jobs shall be brought by contractors.

H2S, O2 and HC gas meter shall be certified and have valid certificate. The portable meters certificate and Test certificate shall be submitted to QMI group. BPCL shall tag the meters prior use. Only BPCL certified meters shall be used.



The portable gas detectors should be from reputed make such as Honeywell, Drager, MSA, Riken Keiki. Multisensor portable detector is also acceptable.

The portable gas detectors brought / used by contractors shall meet the following requirements:

- Display: continuous display of real time gas concentration with manual backlight lit option.
- On start-up: display the full function self-test of the sensor, battery, circuit integrity, current alarm set points & days until calibration due.
- Switching off: to prevent accidental switching off, detector should not switch off by operation of single button, it should have a timed off function that provides audible and visual off indication.
- Area classification: Ex-proof, class I, div.1, gas group A, B, C, D & T4 as per NEC 500
- Portable detectors shall have PESO certification.
- Audible alarm: buzzer output of 95 db.
- Visual alarm: flashing alarm shall be visible from multiple angles.
- Shall show and warn in the event of a gas alarm condition (low, high, STEL & TWA), low battery and sensor fault.
- Calibration: Vendor to calibrate detectors quarterly with certified calibration gas cylinder (n-Butane) from reputed agency. Calibration gas cylinder certificate to be produced on demand. Vendor to keep record of detector calibration certificate at site.
- Certificate must clearly indicate the drift observed during calibration and calibration gas concentration & validity.
- History: should record all events and data must be stored in detector memory.





- ह. इतिहास संग्रह अवधि : न्यूनतम 250 कार्यक्रम पूर्ण होने तक । भरने पर रॅपअराउंड स्मृति सुविधा से नवीनतम डेटा के साथ सबसे पुराने डेटा को बदलना चाहिए ।
- क्ष. सटीकता : सभी डिटेक्टरों के लिए – नापे मूल्य का 1% ।
- त्र. अंशांकन रेंज :
- ओ 2 के लिए – 0-25% वी / वी
- एचसी के लिए – 0-100% एलईएल (एन-ब्यूटेन)
- एच 2 एस के लिए – 0-100 पीपीएम
- ज्ञ. अलार्म सेटिंग :
- ओ 2 के लिए : कम = 20% वी / वी (गैर लैचिंग), निम्न कम = 19% वी / वी (लैचिंग)
- एचसी के लिए : = 20% एलईएल (गैर लेचिंग), HI HI = 40% एलईएल (लैचिंग)
- एच 2 एस के लिए : HI = 10 पीपीएम (गैर लैचिंग), HI HI = 15 पीपीएम (लैचिंग) ।

यदि डिटेक्टर अलार्म बजता है तो इस क्षेत्र को खाली करने की और स्थानीय ऑपरेशन डिपार्टमेंट / ऑफिसर-इन-चार्ज / सुरक्षा पर्यवेक्षक को सूचित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

मौजूदा “वित्तीय बाधाओं” के एसआर नंबर 3 के अनुसार “परमिट शर्तों के उल्लंघन” के लिए मौजूदा जुर्माना उपरोक्त के गैर-अनुपालन में लागू होगा ।

बीपीसीएल साइट पर किसी भी मीटर के अंशांकन की जांच करने का अधिकार रखता है और यदि इसकी प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है तो डिटेक्टर को अस्वीकार कर सकता है ।

ठेकेदार द्वारा उपरोक्त धाराओं में वर्क परमिट सुरक्षा की स्थिति के उल्लंघन के मामले में, बीपीसीएल ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा, जिसमें ठेकेदार की हॉलिडे लिस्टिंग भी सम्मिलित है ।

## 11. विनियम आवश्यकताएं

11.1 सभी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, उपभोज्य और कार्यशाला एससीसी के खंड नं. 2 के अनुसार होंगे ।

### 11.3.1 मचान और प्लेटफार्म

ठेकेदार बीपीसीएल साइट इंजीनियर की संतुष्टि के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ बीपीसीएल रिफाइनरी सुरक्षा विनियमों के अनुपालन में मचान का निर्माण करेगा ( मचान, बोर्ड, प्लॉक, रेल, बंधन, पट्टों, फिक्सिंग टुकड़े, ट्यूब, सीढ़ी आदि... पर सीमित नहीं ) ।

रखरखाव के प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए सभी मचान अभियंता प्रभार से हटाने के अगले नोटिस तक माहिक के उपयोग हेतु यथा स्थिति में बने रहेंगे । क्षतिग्रस्त या बिगड़ती घटकों का उपयोग नहीं किया जाएगा । सभी मचान निम्नलिखित मानकों या समकक्षों के अनुरूप होंगे:

### राष्ट्रीय मानक और संविधि :

- अ. भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 और प्रयोजनीय राज्य कारखाना नियम ।
- ब. बीओसीडब्ल्यू केंद्रीय नियम, 1998 – भाग – III : अध्याय XIX (नियम संख्या 1988 - 205)
- स. IS 2750: इस्पात परिरक्षण
- द. IS 3696: स्कॉफोल्ड्स और सीढ़ी का सुरक्षा कोड: भाग 1 स्कैफोल्ड्स
- य. IS 3696: स्कैफोल्ड और सीढ़ी – सुरक्षा कोड: भाग 2 सीढ़ी
- र. IS 4014: भाग 1 इस्पात ट्यूबलर मचान के लिए अभ्यास की विधि भाग परिभाषाएं और सामग्रियां
- ल. IS 4014: भाग 2 इस्पात ट्यूबलर मचान के लिए अभ्यास की संहिता भाग 2 मचान के लिए सुरक्षा नियम
- व. निर्माण के दौरान सुरक्षा प्रथाओं के लिए ओआईएसडी-जीडीएन – 192



- l. History storage period: minimum up to 250 events. When full, wraparound memory feature should replace oldest data with most recent data.
- m. Accuracy: for all detectors- 1% of measured value.
- n. Calibration Range :  
For O<sub>2</sub> - 0-25% v/v  
For HC – 0-100 % LEL (n-Butane)  
For H<sub>2</sub>S – 0-100 ppm
- o. Alarm settings:  
For O<sub>2</sub> : Low =20% V/V (non latching), Low Low = 19% V/V (latching).  
For HC : HI =20% LEL (non latching), HI HI = 40% LEL (latching).  
For H<sub>2</sub>S : HI =10 ppm (non latching), HI HI =15 ppm (latching).

It shall be contractor's responsibility to evacuate the area if the detector alarm is sounded and inform local operation department/officer-in-charge/safety supervisor.

Existing penalty for "Violation of permit conditions" as per Sr No 3 of existing "financial deterrents" shall be applicable for the non-compliance of above.

BPCL reserve the right to check calibration of any meter at site and reject the detector if its response is not satisfactory.

In case of violations of work permit safety conditions by the contractor to the above clauses, BPCL will initiate penal actions against the contractor, which may include Holiday Listing of the contractor.

## 11 REGULATORY REQUIREMENTS

- 11.1 All plant, machinery, equipment, tools, consumable and workshop shall be in accordance with clause no.22 of SCC.

### 11.3.1 Scaffolding and Platforms

The contractor shall erect the scaffolding in compliance with BPCL Refinery Safety Regulations with quality material (scaffold boards, planks, rails, shackles, putlogs, fixing pieces, tubes, ladders etc but not limited to) required as per standards to the satisfaction of BPCL site engineer.

All scaffolding erected by the CONTRACTOR for the purpose of maintenance shall remain in position for Owner's utilization till further notice of removal from the Engineer in charge. Damaged or deteriorated components shall not be used. All scaffolding shall conform to following standards or equivalent:


#### National Standards & Statutes:

- a. The Indian Factories Act, 1948 and applicable State Factories Rules.
- b. BOCW Central Rules, 1998- Part-III : Chapter XIX (Rules no.188 – 205)
- c. IS 2750 : Steel Scaffoldings
- d. IS 3696 : Safety code of scaffolds and ladders: Part 1 Scaffolds
- e. IS 3696 : Scaffolds and ladders - Code of Safety: Part 2 Ladders
- f. IS 4014 : Part 1 Code of practice for steel tubular scaffolding Part 1 Definitions and materials
- g. IS 4014 : Part 2 Code of practice for steel tubular scaffolding Part 2 Safety Regulations for Scaffolding
- h. OISD-GDN-192 for Safety practices during construction.



## या अंतर्राष्ट्रीय मानक:




- बी एस एन 12811 और बी एस एन 12810 - टीजी 20:08 - बी एस एन 12811-1 के उपयोग पर तकनीकी मार्गदर्शन
- ओएसएचए: 29सीएफआर भाग 1926: निर्माण उद्योग में प्रयुक्त स्कैफोल्ड्स से लिए सुरक्षा मानक



मचान जो उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है उसे सेवा से तत्काल आहरित किया जाएगा, विघटित और पुनः स्थापित किया जाएगा ताकि आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके। यदि ठेकेदार उप-अनुबंध मचान का उपयोग करना चाहता है, तो इसका विवरण अनुबंध निविदा में प्रदान किया जाना चाहिए।


सभी मचान कार्य और स्कॉफोल्डर निम्न आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा:

- ठेकेदार सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो ओएसएचएडीएडीसीए 29 सीएफआर 1926 उप-एल एल के अनुसार मचान का निरीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है।
- मचान डबल पोल प्रकार की होगी। सिंगल पोल स्कॉफोल्ड्स की अनुमति नहीं है मचान काम में लगे कर्मचारियों को डबल जीवनरेखा सुरक्षा हार्नेस पहनना चाहिए।
- ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से धातु के ढांचे के साथ कवर (ग्रेटिंग्स नहीं) और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा। यदि धातु बोर्ड / प्लेटों के साथ पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करने की आवश्यकता संभव नहीं है तो ऐसे मामले में काम के क्षेत्र में कम से कम ती नंबर बोर्ड / प्लांट उपलब्ध कराया जाना चाहिए और बाकी क्षेत्र में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए हाथ रेल, मध्य रेल, ड्रॉप गेट और टो बोर्डों द्वारा दुर्गम किए जाएंगे।
- मचान के संचालन मंच के सभी तरफ टो बोर्ड्स प्रदान किया जाएगा।
- मचान के सभी वर्किंग मंच पर हस्त रेल और मध्य रेल प्रदान किया जाएगा।
- कार्यरत प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी प्रदान की जाएगी। सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- क्रॉस ब्रेसिंग और अन्य प्रकार के समर्थनों की पर्याप्त संख्या के उपयोग के द्वारा पाड़ की पर्याप्त स्थिरता सुनिश्चित करना
- मचान ऐसे तरीके से बनाया जाएगा ताकि पाड़प सीढ़ी, सीढ़ियों और पैदल चलने में बाधा न बने।
- मचान के निर्माण के दौरान 'उपयोग के लिए असुरक्षित' बोर्ड प्रदान किया जाएगा।
- केवल प्रशिक्षित और अनुभवी स्कॉफोल्डर्स को 'उपयोग के लिए असुरक्षित' बोर्ड के साथ मचान पर काम करने की अनुमति दी जाएगी।
- नियुक्त पर्यवेक्षक, चेकलिस्ट में भरेगा जिसे एफ एंड एस द्वारा विकसित "सेफ टू यूज" टैग के पीछे मुद्रित किया जाएगा और लागू होने वाले सभी चेकलिस्ट बिंदुओं की पूर्ति होने पर वह इसे इस संबंध में प्रमाणित करेगा।
- ठेकेदार पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, मचान को कार्यकारी एजेंसी द्वारा तथा तत्पश्चात एफ एंड एस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। वे पहले से ही नामित ठेकेदार पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित "सेफ टू यूज" टैग पर हस्ताक्षर करेंगे। समस्त तीनों द्वारा के प्रमाणन के बाद ही आवश्यक कार्य के लिए मचान का उपयोग किया जा सकता है।



Or International Standards :



- BS EN 12811 and BS EN 12810 - TG20:08 - Technical Guidance on the use of BS EN12811-1
- OSHA: 29 CFR Part 1926: Safety Standards for Scaffolds Used in the Construction Industry



Any scaffolding which does not conform to the above requirements shall be immediately withdrawn from service, dismantled and re-erected such that the requirements are complied with. If the CONTRACTOR intends to use sub-contract scaffolding, details must be provided in the CONTRACT TENDER.

All the scaffolding work and scaffolder shall comply with following requirement:

- Contractor shall appoint competent person who is authorized to inspect and certify scaffolding as per OSHA std 29 CFR 1926, subpart L.
- Scaffolding shall be double pole types. Single Pole scaffolds are not allowed. The workers engaged in scaffolding work must wear double lifeline safety harness.
- Operating platform shall be fully covered with metal planks (not gratings) and adequately secured. If it is not required/possible to cover entire platform with metal boards/planks then in such case provide minimum three number of boards/planks in working area and remaining area shall be made inaccessible with hand rails, mid rails, drop gate and toe boards to restrict the entry in that area.
- Toe boards shall be provided at all the side of operating platform of scaffolding.
- Hand rail and mid rail shall be provided at all the working platform level of the scaffolding.
- Ladder shall be provided to approach working platform. Length of the ladder shall not be more than 6 m.
- Ensure adequate stability of scaffold by use of adequate No. of cross bracings and other types of supports
- Scaffolding shall be built in such a way so that pipes shall not obstruct ladders, stairs and walkways.
- ‘Unsafe to use’ board shall be provided during erection of scaffolding.
- Only trained & experienced scaffolders shall be allowed to work on scaffolding with ‘Unsafe to use’ board.
- Designated Supervisor shall fill in the checklist which shall be printed on the backside of the “Safe to Use” tag developed by F&S and shall certify it if it meets all the checklist points as applicable.
- After certification by contractor supervisor, scaffolding shall be certified by Executing agency followed by F&S officer. They shall sign on the “Safe to Use” tag already signed by designated contractor supervisor. After certification by all the three only the scaffolding can be put to use for the required job.






**SAFE TO USE**

Checklist points for scaffolding safety:

- 1. Scaffolding is erected in accordance with the design and specifications.
- 2. Scaffolding is erected by trained and experienced scaffolders.
- 3. Scaffolding is erected on a firm and level base.
- 4. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 5. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 6. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 7. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 8. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 9. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.
- 10. Scaffolding is erected in a safe and sound manner.

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Valid for 15 (Fifteen) days, if not altered.



**DO NOT USE SCAFFOLD**

CONTRACTOR SUPERVISOR

Signature: \_\_\_\_\_


Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

SR. NO.: \_\_\_\_\_



- ढ) ठेकेदार पर्यवेक्षक और निष्पादन एजेंसी द्वारा मचान की प्राप्ति के हर 15 दिनों में पुनर्परीक्षण किया जाएगा। एफ एंड एस केवल तभी संशोधित होगा जब मचान को बदल दिया गया हो / संशोधित किया गया हो।
- ण) 'दूर से दृश्यता हेतु' सक्षम व्यक्ति द्वारा मचान की मंजूरी के बाद ही ठेकेदार बोर्ड का उपयोग करने के लिए 'उपयोग के लिए सुरक्षित' प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- त) जब पाइ को 'उपयोग करने में सुरक्षित' के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो किसी को भी किसी भी उद्देश्य के लिए पाइ को बदलने / संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इसे परिवर्तित / संशोधित किया जाता है तो 'उपयोग करने में सुरक्षित' से संबंधित उनका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- थ) संयुक्त युग्मक या आस्तीन युग्मक का उपयोग केवल स्क्रैफोल्ड पाइपों के विस्तार के लिए किया जाएगा।
- द) मचान को मानक आधार प्लेटों के साथ प्रदान किया जाएगा।
- ध) एफ एंड एस को मचान के प्रमाणन के लिए कम से कम एक दिन पहले सूचित किया जाएगा। शाम या रात्रिकालीन पारी में और छुट्टियों / साप्ताहिक अवकाशों में एफ एंड एस द्वारा प्रमाणन नहीं किया जाएगा।
- न) ठेकेदार मचान के निर्माण के लिए फायर एंड सेफ्टी विनियमन में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।



## 12) वेल्डिंग प्रक्रिया की आवश्यकताएं:

इस संविदाकर के तहत प्रदान किए गए सभी वेल्डर एसएसएमई बॉयलर और प्रेशर वेसल कोड - धारा IX, 6G की स्थिति में वेल्डिंग योग्यता के अनुसार योग्य होंगे, अर्थात् सभी वेल्डिंग पद। बीपीसीएल निरीक्षण अनुभाग द्वारा, अनुमोदित वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए काम करने वाले उपयुक्त योग्य वेल्डर द्वारा सभी वेल्डिंग कार्य निष्पादित किए जाने चाहिए।

वेल्डिंग प्रक्रियाएं, योग्यता रिकॉर्ड और वेल्डर योग्यता को समीक्षा और स्वीकृति के लिए शटडाउन प्रारंभ तिथि से कम से कम छह सप्ताह पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें ऊष्मा एक्सचेंजर ट्यूबों की सील वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सभी वेल्डर के परीक्षणों को अनुबंध के प्रारंभ से पहले बीपीसीएल निरीक्षण अनुभाग या बीपीसीएल निरीक्षण अनुभाग के अनुमोदित निरीक्षण अधिकारी द्वारा देखा जाएगा। पहचान उद्देश्यों के लिए प्रत्येक योग्य वेल्डर की दो पासपोर्ट प्रकार की तस्वीरें मालिक को प्रदान की जाएंगी।

सभी वेल्डर परीक्षणों को स्वीकृत वेल्डिंग प्रक्रियाओं के अनुसार जो बीपीसीएल निरीक्षण अनुभाग और ठेकेदार द्वारा ठेका कार्य शुरू करने से पंद्रह 15 दिन पहले या पूर्व निर्माण कार्यों के प्रारंभ से पहले, जो भी पहले हो, जिस पर भी सहमति हो गई हो, किया जाएगा।

सभी वेल्डर योग्य और उचित योग्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली स्टील और सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग सामग्री के लिए सक्षम होंगे। प्रासंगिक वेल्डिंग टेस्ट पास करने वाले वेल्डर, अनुबंध के दौरान संयंत्र पर काम करने से अयोग्य ठहराए जाएंगे।

### 12.1 उष्ण कार्य के लिए अग्नि कंबल :

सभी उष्ण कार्यों के लिए स्थानीय बैरीकेडिंग आवश्यक है। उष्ण कार्य के चारों ओर उपयोग किए जाने वाले बैरीकेडिंग कपड़ों के लिए निम्नलिखित विनिर्देश होंगे :


- क) कंबल, नर्म एस्बेस्टोस अकार्बनिक फाइबर क्लॉथ से निर्मित किया जाएगा इस कंबल को फायर रेटेंट और वेल्डिंग स्पाक्स के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए विशेष रासायनिक योगिक से अच्छी तरह से उपचारित किया जाता है, जिसमें एमआर दूरी पर बरस आईलेट्स युक्त फाइबर ग्लास टेप के साथ सिले हुए चार पक्ष होते हैं।







- m) Recertification of the scaffolding shall be done every 15 days by contractor supervisor and executing agency. F&S will recertify only if the scaffolding is altered/ modified.
- n) Contractor shall also provide 'Safe to use' board after approval of scaffolding by the competent person for visibility from distance.
- o) Once scaffold is certified as 'safe to use', then nobody shall be allowed to alter/modify the scaffold for any purpose. If at all it is altered / modified then their certificates as 'safe to use' stand cancelled.
- p) Joint coupler or sleeve coupler shall only be used for extending the scaffold pipes.
- q) Scaffolding shall be provided with standard base plates.
- r) F & S shall be informed at least one day in advance for certification of the scaffolding. No certification shall be done in Evening or Night shift and on holidays/ weekly offs by F&S.
- s) The contractor shall follow the guidelines mentioned in Fire & Safety Regulation for the construction of scaffolding.



## 12) REQUIREMENTS FOR WELDING PROCEDURE

All the welders provided under this CONTRACTOR shall be qualified in accordance with the requirements of ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX, Welding qualification in the position of 6G i.e., all welding positions.

All welding works must be performed by suitably qualified welders working to welding procedures approved by the BPCL inspection section.

The welding procedures, qualification records and welder qualification must be submitted for review and acceptance at least six weeks prior to the shutdown start date. This includes welding procedures for seal welding of heat exchanger tubes.

All welders tests shall be witnessed by the BPCL inspection section or a BPCL inspection section approved inspecting authority prior to commencement of the Contract. Two passport type photographs of each qualified welder shall be provided to OWNER for identification purposes.

All welders tests shall be carried out in accordance with approved welding procedures which have been agreed upon by BPCL inspection section and the CONTRACTOR fifteen(15) day prior to commencement of CONTRACT work or commencement of pre fabrication works, whichever is earlier.

All welders shall be qualified and capable of welding materials in carbon steel, stainless steel, chrome moly steel and super duplex stainless steel to the appropriate qualified welding procedures. Welders who fail to pass the relevant welding test will be disqualified from working on the plant during the CONTRACT.

### 12.1 Fire Blanket for Hot work:

Local barricading is must for all hot works. The barricading clothes used for spot barricading around hot work shall have following specifications:

- a) Blanket shall be manufactured from closely woven non asbestos inorganic fibre cloth thoroughly treated with special chemical compound to make the blanket fire retardant and resistant to welding sparks, having four sides stitched with fibre glass tape having brass eyelets at 1 mtr. distance.





बी) तकनीकी विनिर्देश:

1. कंबल को गैर एस्बेस्टोस कपड़े से बनाया जाएगा जिसमें 1600 डिग्री सी तक तापमान प्रतिरोध होता है ।
2. कंबल का आईएस 11871, समूह ए और बी के अनुसार परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उत्तीर्ण होने के बाद इसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. कंबल कटिंग स्पैल्टर, अग्नि गेंदों, गैस कटिंग पिघली हुई धातु आदि का प्रतिरोधक होना चाहिए ।

### 13) जोखिम संप्रेषण

- अ) ठेकेदार को बीपीसीएल अभियंता-इन-चार्ज से अपने अनुबंध से संबंधित सभी ज्ञात संभावित अग्नि, विस्फोट या विषाक्त रिलीज खतरों के बारे में खुद को परिचित कर लेना चाहिए । वह बदले में यह सुनिश्चित करेगा कि इस जानकारी को अपने पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है । सूचना के इस तरह के प्रसार का सही रिकॉर्ड ठेकेदार द्वारा रखा जाना चाहिए और मांग पर अभियंता-इन-चार्ज को प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर काम का जारी रखना रोका जा सकता है ।
- ब) रिफाइनरी परिसर में आग लगने या किसी गंभीर खतरे की स्थिति में, ठेकेदार का कर्मचारी विस्तार – डायल करेगा । खुद के स्थल को पहचानकर लोकेशन की पहचान करे और फायर स्टेशन ऑपरेटर को आग के स्थान की सूचना दे । वह अग्नि ऑपरेटर द्वारा आग संदेश को दोहराने अथवा उस स्थान के निकटतम एमसीपी (मैनुअल कॉल पॉइंट) का गिलास तोड़ देने तक इंतजार करेगा ।
- ग) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रत्येक कर्मचारी स्पष्ट रूप से इस अग्नि संचार आवश्यकता को समझते हैं । जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के दौरान ठेकेदार द्वारा इसे सुनिश्चित किया जा सकता है ।

### 14. चोट सूचना और जांच

ठेकेदार को चाहिए

- क) रिफाइनरी परिसर के भीतर अपने किसी भी कर्मचारी को लगी चोट या कोई निअर मिस या कार्यस्थल पर किसी भी खतरनाक / खतरनाक घटना की बीपीसीएल के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें । इस प्रकार की किसी दुर्घटना छिपाने को गंभीर दुराचार के रूप में देखा जाएगा ।
- ख) घायल कर्मचारी को तत्काल प्रथम चिकित्सा सहायता प्रदान करने और साइट पर्यवेक्षक के साथ घायल को बीपीसीएल व्यवसायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने की व्यवस्था करें ।
- ग) अपने कर्मियों / कार्यस्थल के संबंध में ऐसी सभी घटनाओं का उचित अभिलेख रखें और रखरखाव करें ।
- घ) अभियंता-प्रभारी को घटना के चार घंटों के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार पहली सूचना रिपोर्ट भेजें ।
- च) इस घटना की तुरंत जांच करने और घंटे के भीतर निर्धारित प्रोफोरा में बीपीसीएल अभियंता-इन-चार्ज के लिए लिखित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें ।
- छ) घायल व्यक्ति की विस्थापन / स्थिति और उसके अनुवर्ती उपचार के विवरण को प्रभारी इंजीनियर के प्रभारी और एफ एंड एस विभाग को शिफ्टली आधार पर सूचित किया जाएगा । ठेकेदार मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि घायल व्यक्ति बीपीसीएल मेडिकल सेंटर में स्वस्थ होने के बाद वापस रिपोर्ट करे ।

### 15. गृह व्यवस्था की आवश्यकताएं

ठेकेदार को अपने कार्य के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन आधार पर एक उच्च स्तर की गृह व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए । एक असंतोषजनक गृह व्यवस्था नकारात्मक रेटिंग अर्जित करेगी, जिसमें वित्तीय निवारक या रजिस्ट्रेशन / अनुबंध रद्द करने जैसी दंड कार्रवाई हो सकती है ।

### 16. निविदा प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यक

ठेकेदार को अपने निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा :-



**a) Technical Specification:**

1. Blanket shall be made of Non-Asbestos cloth having temperature resistance up to 1600 Deg C.
2. Blanket shall be tested as per IS 11871, group A & B and passed the test. The certificate for the same shall be produced.
3. The blanket must resist cutting splatter, fire balls, gas cutting molten metal etc.

**13) HAZARD COMMUNICATION**

- a) Contractor must familiarize himself from BPCL Engineer-in-Charge about all known potential fire, explosion or toxic release hazards related to his contract. He in turn will ensure that same information has been passed to his supervisors and workmen. Proper record of such dissemination of information must be made by the contractor and submit to the Engineer-in-Charge on demand, failing which further continuation of work may be withheld.
- b) In the event of any contractor's employee spotting a fire or any serious hazards in Refinery premises, he shall dial Ext. No-3333. Identify himself and report location of Fire when Fire Station Operator is on the line. He shall wait until the fire message is repeated by the Fire Operator and location confirmed or break the glass of nearest MCP (Manual call point).
- c) The contractor must ensure that each one of his employees clearly understands this Fire Communication requirement. This may be ensured by the contractor while providing on the job training.

**14. INJURY NOTIFICATION AND INVESTIGATION**

Contractor must

- a) Report to BPCL supervisor on - the - job any injury sustained by any of his employees or any near miss or any hazardous / dangerous incident at his work site within the Refinery premises. Hiding of any accident or near miss would be viewed as serious misconduct.
- b) Arrange to provide FIRST AID immediately to the injured employee and bring the injured to BPCL Occupational Health Centre along with Site supervisor.
- c) Keep and maintain proper records of all such incidents in respect of his personnel / worksite.
- d) Submit to the Engineer-In-Charge, a first information report as per prescribed Proforma within 4 hours of the incident.
- e) Arrange to immediately investigate the incident and furnish within 24 hours a written investigation report in prescribed Proforma to BPCL Engineer-In-Charge.
- f) Disposition / Status of the injured person and his follow-up treatment details shall be informed to engineer in-charge and F&S dept on shiftily basis. The Contractor owner shall be liable to ensure that injured person reports back at BPCL medical centre once fit.

**15. REQUIREMENT OF HOUSEKEEPING**

Contractor must ensure highest standard of housekeeping in his area of work on a day-to-day basis. An unsatisfactory housekeeping will earn negative rating, which will attract penal actions like Financial deterrent or cancellation of registration / contract.

**16. REQUIREMENT DURING SUBMISSION OF TENDER**

Contractor must submit along with his tender:-



क. पिछले तीन सालों में प्रति वर्ष कितना कुल मानव-घंटे काम किया ।

ख. ठेकेदार का पिछला सुरक्षा प्रदर्शन

ग. कार्यकर्ता का मुआवजा भुगतान (पिछले 3 वर्ष)

घ. घातक घटनाओं की संख्या (पिछले 3 वर्ष)

च. रिपोर्ट करने योग्य खोया समय चोट आवृत्ति दर (पिछले 3 वर्ष)

छ. लंबित अदालत के मामले, यदि कोई हो

ग. सुरक्षा क्षमता आकलन

क. ठेकेदार की कंपनी सुरक्षा नीति

ख. ठेकेदार की कंपनी सुरक्षा संगठन

ग. ठेकेदार की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मैनुअल

घ. जोखिम पहचान और जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

च. प्रत्यायन ( आईएसओ 9001 / आईएसओ 14001 / ओएचएसएस 18001 ) / प्रदर्शन पुरस्कार

छ. तृतीय पक्ष / ग्राहक लेखा परीक्षा उनके द्वारा किए गए समान पिछली नौकरियों की रिपोर्ट

घ. सुरक्षा आश्वासन योजना

कोटेशन में अनुबंध के निष्पादन के दौरान समय-समय पर नौकरी के लिए तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षक और कुशल या अकुशल श्रमिकों की संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए ।

निविदा मूल्यांकन के दौरान उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा ।

## 17. साइट पर प्रदर्शन बोर्ड

ठेकेदार को अपने कार्यस्थल में यह उपलब्ध कराना और इसका अनुरक्षण करना चाहिए :-

अ. उपयुक्त प्रदर्शन बोर्ड प्रदर्शित जानकारी निम्नानुसार है :

ठेकेदार का नाम	
स्थान	
प्राधिकरण / परमिट सं.	
कार्य की प्रकृति	
काम की अवधि ( डीडी/एमएम/वाईवाई टू डीडी/एमएम/वाईवाई )	
अनुबंध के पर्यवेक्षक का नाम	
साइट प्रभारी का नाम ( बीपीसीएल इंजीनियरिंग प्रभारी )	

यह डिस्प्ले बोर्ड 3 x 2 आकार का होना चाहिए और मजबूत स्टैंड वाले गैर-दहनशील सामग्री से बना होना चाहिए ।

ख. सुरक्षा प्रदर्शन स्कोर बोर्ड

## 18. सुरक्षा कार्यकलापों में भागीदारी

ठेकेदार को सभी अनुसूचित सुरक्षा बैठकों में शामिल होना चाहिए, जैसा कि अभियंता-इन-प्रभारी द्वाव उन्हें सूचित किया जाएगा ।

ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिफाइनरी में आयोजित सुरक्षा प्रचारक गतिविधियों में उनके सभी कर्मचारी भाग लेंगे ।

मासिक सुरक्षा प्रदर्शन डेटा : प्रमुख या गंभीर जोखिम संभावित काम ( संयंत्र क्षेत्र में सभी काम ) ठेकेदारों मासिक सुरक्षा प्रदर्शन डेटा को मासिक कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षा प्रपत्र का उपयोग कर बीपीसीएल प्रतिनिधि को सौंपेंगे ।





**A. Total man-hours worked, per year, for the last three years.**

**B. Contractor's Past Safety Performance**

- a. Worker's Compensation Payout (last 3 years)
- b. Number of Fatal Incidents (last 3 years)
- c. Reportable Lost Time Injury Frequency Rates (last 3 years)
- d. Pending court cases, if any

**C. Safety Capabilities Assessment**

- a. Contractor's Company Safety Policy
- b. Contractor's Company Safety Organization
- c. Safety Management System Manual of the contractor
- d. Hazard Identification & Risk Management Program
- e. Accreditation (ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001)/ Performance Awards
- f. 3rd Party / Client Audits Report of similar previous jobs undertaken by them

**D. Safety assurance plan.**

Quotation must clearly indicate the number of Supervisors and skilled or unskilled workers, which will be deployed for the job, from time to time during execution of the contract.

The above information will be taken into view during tender evaluation.

## 17. DISPLAY BOARDS AT SITE

Contractor must provide and maintain in his work site:-

- a) Appropriate display board displaying information as follows:

NAME OF CONTRACTOR	
LOCATION	
AUTHORISATION / PERMIT NO.	
NATURE OF WORK	
PERIOD OF WORK (DD / MM / YY TO DD / MM / YY)	
CONTRACT SUPERVISOR NAME	
NAME OF SITE INCHARGE (BPCL ENGG. INCHARGE)	

This display board should be of 3'x2' size and made of non-combustible material with firm stand.

- b) Safety performance score board.

## 18. PARTICIPATION IN SAFETY ACTIVITIES

Contractor must attend all scheduled safety meetings as would be intimated to him by the Engineer-in-charge.

Contractor also must ensure that all his employees participate in safety promotional activities organized in the refinery.

Monthly Safety Performance Data: Major or Serious Risk Potential work (all works in plant area) contractors shall submit monthly safety performance data to the BPCL representative using the Monthly Contractor Safety form.



- महीने में कुल मानव घंटे काम किया
- बीपीसीएल की 12 जीवन बचत नियम उल्लंघन संख्या
- समय गंवानेवाली घटनाओं की संख्या
- प्रेरण प्रशिक्षण में उपस्थिति
- कोई सुरक्षा चिंता

बीपीसीएल-एमआर द्वारा आवधिक प्रदर्शन समीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें ठेकेदार के कार्य प्रतिनिधि, ठेकेदार प्रबंधक, सुरक्षा पर्यवेक्षक, मालिक आदि शामिल होंगे ।

## 19. नोट

- क) बीपीसीएल कर्मचारी या आकस्मिक आगंतुक के अतिरिक्त रिफाइनरी में प्रवेश करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, उपरोक्त शर्तों से शासित होगा ।
- ख) शब्द पर्यवेक्षक का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो कार्यकर्ताओं के एक समूह के काम की देखरेख करता है अन्य सभी व्यक्तियों को कामगार के रूप में माना जाएगा
- ग) सुरक्षा के संबंध में उपर्युक्त किसी भी विशेष स्थिति का उल्लंघन अनुबंध / पंजीकरण को समाप्त करने सहित दंड कार्रवाई को आकर्षित करेगा ।
- घ) इन आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा कार्य के समापन पर दस्तावेजकृत किया जाएगा और ठेकेदार के डोसियर में रखा जाएगा । इस प्रदर्शन को पंजीकरण के नवीकरण के समय पर्याप्त महत्व दिया जाएगा ।
- य) इन शर्तों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को अभियंता प्रभारी रिफाइनरी अग्नि एवं सुरक्षा विभाग के प्रमुख के पास संदर्भित करेगा ।

20. ओआईएसडी दिशानिर्देश 207 (ठेकेदार सुरक्षा) में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालनक्रिया जाएगा । उसी की प्रतिलिपि अग्नि एवं सुरक्षा विभाग के पास उपलब्ध है ।



- Total man-hour worked in the month
- Number of BPCL 12 Life Saving Rule Violations
- Number of Lost Time Incidents
- % Attendance in Induction Training
- Any safety concern

Periodic performance reviews will be conducted by BPCL-MR which shall be attended by Contractor Job representative, Contractor Manager, Safety Supervisor, Owner etc.

**19. NOTE**

- a) Every person other than a BPCL employee or a casual visitor, entering in the refinery, would be governed by the above conditions.
- b) The term supervisor would mean any person who oversees the work of a group of workmen. All other persons would be considered as workmen.
- c) Violation of any of the above special conditions of safety would attract penal actions including termination of the contract/registration.
- d) Meticulous adherence to these requirements would be documented by the Engineer-In-Charge on conclusion of the work and placed in the dossier of the contractor. This performance would be given adequate weightage at the time of renewal of the registration.
- e) Any dispute arising out of these conditions shall be referred by the Engineer-In-Charge to the Head of the refinery Fire and Safety department.

**20. All guidelines as mentioned in OISD Guidelines 207 (Contractor Safety) shall be strictly complied with. Copy of the same is available with Fire & Safety Department.**